

प्रकाशक  
मार्तण्ड उपाध्याय  
मंत्री, सस्ता साहित्य मडल  
नई दिल्ली

---

---

दूसरी वार १९५३

मूल्य

आठ आना

---

---

मुद्रक  
रामप्रताप त्रिपाठी  
सम्मेलन मुद्रणालय  
प्रयाग

## प्रस्तावना

सर्वोदय योजना के सिद्धान्तों का यह विवरण सर्वोदय प्लैनिंग कमेटी की ओर से प्रकाशित किया जा रहा है। इसलिए यहाँ सर्वोदय प्लैनिंग कमेटी के विषय में कुछ शब्द लिख देना आवश्यक है।

१९३७ में जब कांग्रेस ने पद ग्रहण किया तब कांग्रेस के आदर्शों और घोषणाओं के अनुसार राष्ट्र-निर्माण की एक योजना तैयार करने का प्रश्न स्वभावतः उसके सामने आया। कांग्रेस ने इस प्रयोजन के लिए एक नेशनल प्लैनिंग कमेटी नियुक्त की। उन अवस्थाओं को तो सब जानते ही हैं जो कि कांग्रेस के मार्ग में रुकावट बन कर खड़ी हो गईं। १९३९ में कांग्रेस ने पद त्याग दिया। १९४६ में उसने इसे पुनः ग्रहण कर लिया। १९४७ में देश स्वतन्त्र हो गया। परन्तु स्वतंत्रता, देश का विभाजन और उसके कारण उत्पन्न नई समस्याएँ अपने साथ लेकर आईं। और फलतः सामाजिक और आर्थिक योजना बनाने का प्रश्न पीछे जा पड़ा।

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक कमेटी आर्थिक कार्यक्रम (इकॉनोमिक प्रोग्राम) बनाने के लिए नियुक्त की। इस कमेटी की रिपोर्ट को कांग्रेस ने जयपुर-अधिवेशन में स्वीकृत कर लिया। देश की अन्य राजनीतिक पार्टियों और सगठनों ने भी अपने सुझाव और योजनाएँ पेश कीं। परन्तु आर्थिक अवस्था बहुत जल्दी-जल्दी विगड़ती गई।

जो रचनात्मक कार्यकर्ता गांधीजी के सर्वोदय आदर्शों से प्रेरित थे और सीधा उनके मातहत काम कर चुके थे, वे इन सब घटनाओं को देख रहे थे और ग्रामों में रचनात्मक कार्य में प्राप्त अपने दीर्घकालिक अनुभव के आधार पर एक योजना बनाने का यत्न कर रहे थे। उन्होंने अनुभव किया कि अब समय आ गया है जब कि देश की परिवर्तित अवस्थाओं में रचनात्मक कार्यक्रम और रचनात्मक कार्यकर्ताओं के भाग और स्थान को पुनः स्पष्ट कर दिया जाय। इस उद्देश्य से और गांधीजी के आदेश से फरवरी १९४८

में रचनात्मक कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन वर्षा में बुलाने का निश्चय किया गया। गांधीजी स्वयं इस सम्मेलन में सम्मिलित होकर मार्ग प्रदर्शित करने वाले थे, परन्तु ईश्वर की इच्छा कुछ और ही थी।

इसके पश्चात् देश की परिस्थिति में सुधार के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिये, प्रत्युत परिस्थिति वद से वदतर होती गई। चारों ओर निराशा और असफलता की भावना व्याप्त हो गई। जो रचनात्मक कार्यकर्ता सर्वोदय के आदर्शों में विश्वास करते थे वे निरन्तर यह अनुभव करने लगे कि हमें एकत्र होकर देश की वर्तमान कठिनाई को हल करने के लिए और अपनी सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था का स्थायी आधार पर निर्माण करने के लिए अपनी एक योजना उपस्थित करने का यत्न करना चाहिए। इसलिए नवम्बर १९४९ के प्रथम सप्ताह में रचनात्मक कार्यकर्ताओं की एक छोटी-सी कांफ्रेंस वर्षा में श्री काका कालेलकर के समापतित्व में की गई। उसमें निर्णय किया गया कि इस कांफ्रेंस के निश्चयों के अनुसार अपनी नीति का एक वक्तव्य तैयार करके कांफ्रेंस के अगले अधिवेशन में पेश किया जाय जो कि २२ और २३ दिसम्बर १९४९ को बुलाया जाय और उसमें रचनात्मक कार्यकर्ताओं को अधिक सख्या में निमन्त्रित किया जाय तथा कांफ्रेंस की स्वीकृति के पश्चात् यह वक्तव्य गांधीजी के द्वितीय मृत्यु-दिवस ३० जनवरी को प्रकाशित करके देश की जनता के सामने उपस्थित कर दिया जाय।

इस निश्चय के अनुसार सर्वोदय आर्थिक सम्मेलन २२ और २३ दिसम्बर १९४९ को वर्षा में श्री काका कालेलकर के समापतित्व में हुआ। इसमें देश के सब भागों में लगभग २०० रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। प्रत्येक धारा पर पूरी तरह विवाद करने के पश्चात् सम्मेलन ने अपने मामने उपस्थित सर्वोदय योजना के सिद्धान्तोंका विवरण स्वीकृत कर लिया और अध्यक्ष को अधिकार दिया कि वह अन्य विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं में मलाह करने के पश्चात् इसे ३० जनवरी १९५० को प्रकाशित कर दे जिसे कि यह सर्वोदय के आदर्शों को भली भाँति प्रकट कर सके।

इस सम्मेलन ने अध्यक्ष से यह भी प्रार्थना की कि वह एक कमेटी नियुक्त कर दें जो कि इस विवरण को रचनात्मक सगठनों से कार्यान्वित करवावे और कांग्रेस से स्वीकृत करवा कर लोकमत को इसका पक्षपाती बनावे। तदनुसार एक सर्वोदय प्लैनिंग कमेटी निम्न सदस्यों की बनाई गई:—

श्री काका कालेलकर, श्री जे० सी० कुमारप्पा  
 श्री शकरराव देव, श्री प्रफुल्लचन्द्र घोष  
 श्री श्रीकृष्णदास जाजू, श्री गुलजारीलाल नन्दा  
 श्री आर० के० पाटिल, श्री जी० रामचन्द्रन  
 श्री जी० एम० सत्यनारायण, श्री जुगतराम दुवे, श्री के० मित्र  
 श्री आर० एस० घोत्रे } मंत्री  
 श्री भवेरमाई पटेल }

इस कमेटी की बैठक दिल्ली में जनवरी के द्वितीय सप्ताह में हुई और उसने इस विवरण को प्रकाशन के लिए अन्तिम रूप दिया।

इस सवध में सब पत्रव्यवहार का पता यह है —

सर्वोदय योजना समिति  
 नई दिल्ली

—मंत्री



# सर्वोदय-योजना

: १ :

## सर्वोदय-योजना के सिद्धांत

मानव-सम्यता का इतिहास स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए किए गये संघर्षों का इतिहास है। प्राच्य दर्शन-शास्त्र का मत है कि मानव की उन्नति और विकास का लक्ष्य स्वतन्त्रता (मुक्ति अथवा मोक्ष) है। वह अपनी वासनाओं और कामनाओं के बन्धन से मुक्त होकर ही जन्म और मृत्यु के बन्धन से मोक्ष (स्वतन्त्रता) प्राप्त कर सकता है। मानव की समस्त महत्वाकांक्षाओं और प्रयत्नों का सार यही है कि वह स्वतन्त्र (बन्धन-मुक्त) किस प्रकार हो सकता है।

पुरातन मानव-समाज में मानव का उन्नत तथा विकसित होने का मार्ग, जाति, रीति-रिवाज, कठोर-परम्परा और छूत-छात की विघ्न बाधाओं से अवरुद्ध था। इनके कारण समाज में अनेक विषमताएँ और अनौचित्य उत्पन्न होकर प्रगति का मार्ग बाधा-पूर्ण हो गया था। जहाँ व्यक्ति के हाथ-पाव बंधे हुए हों वहाँ समष्टि की भी प्रगति नहीं हो सकती। बाद को राजा-महाराजा, अमीर-उमरा, पण्डित-पुरोहित और मुखिया तथा मालिक भी व्यक्तियों की स्वतन्त्रता का अपहरण करने लगे। साहित्य, कला और विज्ञान भी पुरातन विचारों और परम्पराओं से प्रभावित हो गये। व्यक्तियों के लिए प्रत्येक बात का निश्चय स्थायी रूप से समाज में उनकी हैसियत देखकर किया जाने लगा। मानव न केवल सामाजिक परिस्थितियों का, अपितु रोग, दरिद्रता, दुर्भिक्ष, भूकम्प और बाढ़ आदि उन प्राकृतिक शक्तियों का भी दास बन गया जिनको वह अपने वश में नहीं कर सका था। व्यक्तियों, सम्पत्तियों और विचारों का स्वतन्त्र संचार नमाप्त हो गया।

वर्तमान नवयुग का प्रारम्भ ही समाज, परिवार, धर्म, राजा, अमीर-उमरा, जात-विरादरी और मुखिया-मालिको के विविध बन्धनो को खोलने तथा प्रकृति की शक्तियो को उपयोगी धाराओ में वाध लेने के साथ होता है। आज के समाज में मानव का मानव से सम्बन्ध हैसियत देखकर नहीं, प्रत्युत प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्र सहमति से निश्चित किया जाता है। आज धार्मिक क्षेत्र में आचार और विचार की प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता है। राजनीति में लोकतान्त्रिक संस्थाओ का विकास हो चुका है और उनके कारण शासित ही शासक बन गये है। इस चहुमुखी स्वतन्त्रता के आधार पर ही इस युग के आदर्शवादियो, कवियो, विचारको और सुधारको ने अपने स्वप्नो के महल खटे किये है और निरन्तर प्रगति के भरोसे स्थायी शान्ति की आशाएँ लगाई जा रही है।

परन्तु मानव के दुर्भाग्य-वश, पुराने बन्धन खुलने के साथ-साथ ही अनेक नये बन्धन फिर लग गये। इनके कारण समाज में नई विषमताओ और नये अन्यायो का जन्म हो गया। विज्ञान ने प्रकृति को वश में करके और नये भौगोलिक अनुसन्धानो के साथ मिलकर औद्योगिक क्रान्ति का युग प्रवर्तित किया। इसके कारण अभाव और न्यूनता के स्थान पर समृद्धि और प्रचुरता दिखाई देने लगी। परन्तु यह समृद्धि उत्पादन के एक सकीर्ण क्षेत्र तक ही सीमित रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि मानव-समाज पुनः समृद्ध सम्पन्नो तथा अभाव-ग्रस्त विपन्नो और यत्रो के स्वामियो तथा वेतन के दासो में विभक्त हो गया। धनकी इस विपमता के कारण व्यक्तियो की हैसियतो में स्थायी विपमता आ गई। पुराने बन्धन और पुराने लगाव तो नष्ट ही हो चुके थे, अब उनका स्थान एकमात्र स्वाथ और सम्पत्ति के बन्धनो ने ले लिया। इतना ही नहीं, ऐसे विचारक और दार्शनिक भी निकल आये जो इन सकीर्ण स्वार्थो की व्याख्या मानवता और परोपकार की भाषा में करने लगे और हमें विश्वास दिलाने लगे कि ममस्त सदाचार की नींव ही स्वार्थ-प्रेरित बौद्धिक विचार-धाराओ पर रखी गई है।

धन की विपमता का प्रभाव केवल आर्थिक जीवन पर ही नहीं पडा, वह राजनीतिक और कुछेक अल्प-वर्ग सांस्कृतिक जीवन को भी क्लृप्त

करने लगा। केवल धन का स्वामी होने के कारण शिक्षा, सस्कृति और सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव के लाभों का उपभोग करने लगे। राजनीतिक क्षेत्र में कानून के सामने जन-मात्र की समानता और मत की स्वतन्त्रता केवल दिखावे की वस्तुएँ रह गईं। लोकतान्त्रिक सिद्धान्त उदार होने के स्थान पर सकीर्णतर होते गये और लोकतन्त्र का अस्थि-भङ्ग-मात्र अवशिष्ट रह गया। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कच्चे माल, बाजारों के विस्तार, पूजा लगाने के अवसरों और सस्ते मजदूरों की खोज ने बड़े-बड़े पूजापतियों और तथाकथित लोकतन्त्रीय साम्राज्यवादियों की सृष्टि कर डाली। ये लोग मिलकर औद्योगिक दृष्टि से अवनत एशिया और अफ्रीका की जनता का शोषण करने लगे। शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों में भूमि की लोलुपता के कारण नये-से-नये अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष होने लगे और उनमें सफल होने के लिए विज्ञान का उपयोग नित-नये तथा अधिक से अधिक विनाशक शस्त्रास्त्रों के आविष्कारार्थ किया जाने लगा। यह होड अब परमाणु-बम तक पहुँच चुकी है। प्रत्येक नया युद्ध विश्व-व्यापी होता देखने लगा है। जिस विज्ञान ने प्रकृति की शक्तियों को वश में करके उन्हें मानव की सेवा में प्रवृत्त कर दिया था, उसने ही अपने नये कठोर नियम बनाकर समाज को कार्य और कारण की नवीन परम्पराओं में जकड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि उद्योगों और व्यवसायों में केन्द्रीभूत होने की प्रवृत्ति बढ़कर मानव विज्ञान का स्वामी नहीं रहा, दास बन गया। शीघ्र ही यह प्रत्यक्ष हो गया कि हमारे समाज में निर्णय हमारी (व्यक्तियों की) इच्छाओं, अभिलाषाओं या आवश्यकताओं के अनुसार नहीं, अपितु भौतिक परिस्थितियों के अनुसार किये जाते हैं। समाजकी प्रेरक शक्तियाँ अपनी ही हैं। इनके कारण ही मार्क्स ने यह मिद्धात स्थिर किया कि "समाज-विज्ञान की मौलिक समस्या उस नियम का पता लगाना है जिसके अनुसार समाज उस अवस्था को उत्पन्न कर देता है जो कि वाद को स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेती है।" वह इस परिणाम पर पहुँचा कि "मानव की सत्ता का (होने न होने का) निश्चय उसकी ज्ञान-शक्ति नहीं करती, प्रत्युत उसकी सामाजिक सत्ता उसकी ज्ञान-शक्ति का निश्चय करती है" (कैपिटल)। मार्क्स इस सामाजिक



ज्ञान-शक्ति की व्याख्या आर्थिक भाषा में करता है। वह कहता है कि समाज का आर्थिक संगठन, विशेषतः उत्पादन के साधन और उनका स्वामित्व, ही समस्त सामाजिक विकास का आधार है। और यह सामाजिक विकास न केवल हमारी सस्कृति, कला, विज्ञान और दर्शन का, अपितु व्यक्तियों के चरित्र का भी निर्माण करता है। सम्भवतः मार्क्स ने समाज की प्रगति के नियमों को समझ लिया था। उसके अनुसार मानव की इच्छा और प्रयत्नों के बावजूद ये नियम लागू होते ही हैं। मानव तो अधिक-से-अधिक इतना ही कर सकता है कि मानवी इतिहास ने अपने जिस हिसामय क्रान्ति का होना पहले से निश्चित कर दिया है उसकी आवश्यकता और अनिवार्यता को समझ कर उसकी 'प्रसव-वेदना को न्यून' कर दे।

मार्क्स चाहता था कि पूँजीपतियों की जिस साम्राज्यवादी समाज-व्यवस्था ने व्यक्ति को सर्वत्र दास बना रखा है और लोकतन्त्र को असम्भव कर दिया है उसका हिसामय क्रान्ति द्वारा नाश करके उसके स्थान पर ऐसी समाज-व्यवस्था की प्रतिष्ठा की जाय जिसकी नींव न्याय, समानता, व्यक्ति के अधिकारों और लोकतन्त्र पर रखी गई हो। वह व्यक्ति की स्वतन्त्रता और लोकतंत्र का पक्षपाती था, यह तो इसीसे स्पष्ट है कि वह सरकार (शासन-तन्त्र) का विनाश चाहता था। परन्तु, मार्क्स के अनुयायी अपना काम भिन्न ही प्रकार कर रहे हैं। सोवियत रूस में सरकार (शासन-तन्त्र) की समाप्ति के कोई चिह्न दृष्टिगोचर नहीं होते, यद्यपि उसका राज-तन्त्र मार्क्सवाद के अनुसार संगठित किया गया बतलाया जाता है। इसके विपरीत वहाँ की सरकार सर्वशक्तिमान् और सर्वव्यापक है। न केवल राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर उसकी प्रभुता है, अपितु नैतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन के अतिरिक्त वह कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान को भी अपने ही नियन्त्रण में रखती है। इसके अतिरिक्त हम ऐसे एकाधिकार पूर्ण शासन भी देखते हैं जिसमें व्यक्ति-स्वातन्त्र्य और लोकतन्त्र को नष्ट करके उनकी नींव राष्ट्र, जाति और भौगोलिक राजनीति आदि के विचारों तथा कुछेक विशिष्ट योग्य व्यक्तियों के शासन करने के अधिकार पर रखी गई है। कम्युनिज्म, नात्मीज्म और फासिज्म आदि

ये सब एकाधिकारपूर्ण वाद, वैज्ञानिक और निर्णायक (डिटर्मिनिस्ट) होने का दावा करते हैं। वे न केवल यह बतलाते हैं कि भूत और वर्तमान कालों में सामाजिक और राजनीतिक शक्तियाँ किस प्रकार काम करती रही हैं, अपितु उनके विषय में भविष्यवाणी भी करते हैं। उनकी व्यवस्था में व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। उसे तो वे सामाजिक गठन का एक बाह्य रूप मात्र अथवा सामाजिक शरीर का एक जीव-कोश (सेल) मात्र मानते हैं। उनकी दृष्टि में इसकी समाज से भिन्न कोई सत्ता नहीं। पूँजी-वादी समाज-व्यवस्था में जीवन को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैयक्तिक और सामूहिक आदि नाना पृथक विभागों में बाँटकर उनमें से प्रत्येक के ऐसे आचार और परम्पराएँ नियत कर दिये जाते हैं जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। एकाधिकारपूर्ण वाद केन्द्र-प्रधान होते हैं। वे एक प्रकार के रहस्यमय भौतिकवाद में विश्वास रखते हैं। क्या व्यक्ति और क्या समष्टि सबके समान आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन का आधार वे एक ही सिद्धांत को मानते हैं। और वह है आर्थिक, जातीय या राष्ट्रीय दृष्टि से शक्ति या प्रभुता प्राप्त करने की आकांक्षा। पूँजीवाद और एकाधिकारवाद, दोनों ही विचार-धाराओं में, जीवन के विभिन्न पहलुओं में समन्वय, सम्बन्ध अथवा परस्पर-श्रेय की कोई गुंजायश नहीं है। उनके विभिन्न दृष्टिकोणों का भी लक्ष्य एक ही है—आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का केन्द्रीकरण। अति केन्द्रीकरण से वैयक्तिक स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है। पूँजीवाद का आरम्भ तो स्वतन्त्रता से हुआ था, परन्तु उसने स्वतन्त्रता को ही नष्ट कर दिया। अनियन्त्रित पूँजी का परिणाम ही अनिवार्यतः यह होता है। मुक्तद्वार व्यापार और व्यापार के स्वाभाविक प्रवाह में हस्तक्षेप न करने की नीतियों ने उत्पादन के केन्द्रीकरण के साथ मिलकर\* मोनोपलियों, कम्पाइनों

---

\*मोनोपली = किसी वस्तु के व्यापार या उत्पादन का एक ही व्यक्ति अथवा संगठन के हाथ में चला जाना। कम्पाइन और कार्टेल, दोनों शब्दों का भाव एक ही है। इनका अभिप्राय है अनेक व्यक्तियों या कम्पनियों का एकत्र सङ्गठन, जिससे कि प्रति-स्पर्धा को समाप्त किया जा सके।

और कार्टलों को जन्म दिया और जब समाज में इन तीनों के कारण घन की तथा सामर्थ्य की अति विषमता हो गई तब लोकतन्त्र का विचार प्रायः अर्थ-हीन हो गया। इस परिस्थिति की प्रतिक्रिया का ही परिणाम 'कम्यूनिज़्म' (साम्यवाद) हुआ, जिसने कि न्याय, समानता और व्यक्ति की स्वतन्त्रता के नाम पर उत्तराधिकार-हीन लोगों की वकालत करते हुए हिंसामय उपायो तक का समर्थन किया। परन्तु उसने आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को सरकार के हाथ में केन्द्रित करके व्यक्ति की स्वतन्त्रता को तो नष्ट कर ही दिया, साथ ही सदाचार के महत्व को भी गौण कर दिया, जिसके बिना व्यक्ति का विकास हो ही नहीं सकता। 'कम्यूनिज़्म' के समान, सब प्रकार की 'फासिज़्म' से भी स्वातन्त्र्य का और व्यक्तित्व का नाश हो जाता है।

वस, यही गांधीजी का सर्वोदय अपना वह आदर्श लेकर प्रविष्ट होता है, जिसमें कि व्यक्ति और समष्टि के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सदाचारिक जीवनो का एकत्र समन्वय करके दिखलाया गया है। गांधीजी जीवन को न तो ऐसे पृथक् विभागों में बाँटते थे जिनमें कि भलाई बुराई का और कर्तव्य-कर्मों का विचार एक दूसरे से भिन्न हो और न वह उसे ऐसा एक मानते थे जिसमें कि विविधता की सर्वथा समाप्ति हो जाय। उनका दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य के सब कार्यों में ऐसा परस्पर सम्बन्ध रहता है कि उनसे आपसे आप आन्तरिक एकता की सृष्टि हो जाती है। परन्तु यह एकता सदाचार के मौलिक नियमों पर आधारित होती है। इसी कारण वह 'डिर्टीमिनिस्ट' (व्यक्ति की इच्छा के विरोधी, निश्चित कारणों और आवश्यकताओं के वशवर्ती) नहीं थे। उनका यह विश्वास नहीं था कि मानव इतिहास का एक ही निश्चित और अपरिवर्तनीय मार्ग है और मुद्धारक स्थिर रहे तो उस "नियम का पता लगा सकता है जिसके अनुसार समाज उस अवस्था को उत्पन्न कर देता है जो कि वाद को स्वयं उमका न्यान ग्रहण कर लेती है।" न उनका यह विश्वास था कि मानव की "सामाजिक मत्ता ही उमकी ज्ञान-शक्ति का निश्चय करती है।" उनका मन्तव्य तो यह था कि जिस प्रकार व्यक्ति का चरित्र-गठन हो सकता है

उसी प्रकार किसी समाज-व्यवस्था द्वारा समाज का भी किया जा सकता है। समाज का अथवा इतिहास का कोई पूर्व-निर्धारित अपरिवर्तनीय मार्ग नहीं है। सामाजिक मस्याओं का निर्माण और गठन व्यक्तियों के ही आचार-विचार, आदर्श और जीवन से होता है। व्यक्ति और समाज की एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। व्यक्ति और समाज में पहले कौन हुआ, इस विचार में समय खोजना ऐसे ही निरर्थक है जैसे कि यह सोचना कि अण्डे और मुर्गी में से पहले किसका जन्म हुआ। इसी कारण वह न तो व्यक्ति की उपेक्षा करते थे और न प्रकृति के भौतिक साधनों की। गांधीजी भौतिक साधनों से घृणा नहीं करते थे। वह मानते थे कि जिस प्रकार मनुष्य की आत्मा को उन्नत करने के लिए उसका शरीर एक साधन है उसी प्रकार ऊँचा उठने के लिए समाज का गठन भी एक साधन है। प्रकृति के साथ मनुष्यों के व्यवहार में, गांधीजी आर्थिक साधनों को बहुत महत्त्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि उनके 'जीवन और सामाजिक मस्याओं का निर्माण उनके द्वारा ही होता है। परन्तु उनको महत्त्वपूर्ण मानते हुए भी वह मार्क्स-वादियों के समान सब-कुछ उन्हें ही नहीं समझते थे। हाँ, उनकी उपेक्षा करने से जो हानि हो सकती है, उसे वह अवश्य स्वीकार करते थे।

यह सर्वविदित है कि भारत के सार्वजनिक जीवन में गांधीजी का प्रवेश आर्थिक कारणों से ही हुआ। भारतीय जनता की दरिद्रता देखकर उनका मन अत्यधिक विचलित हो गया। वह बहुधा कहा करते थे कि मैं दरिद्र लोगों को ईश्वर का साक्षात्कार चावल की मुट्ठी में ही करा सकता हूँ। चम्पारन, खेडा, बोरसद और बारडोली आदि में उनके आन्दोलनों का आधार आर्थिक समस्याएँ ही थीं। औद्योगिक भगदों ने भाग उन्होंने आर्थिक कारणों से ही लिया था। १९३० में भी, जबकि वह किसी ऐसे कानून की तलाश में थे जिसे कि वह स्वयं मुगमता ने भग कर मजे और जनता से भी बैसा करने के लिए कह सके, तब उन्होंने गरीबों के चुटकी-भर नमक को ही चुना, जिसपर कि उस समय भारी टैक्स लगा हुआ था। जब उन्होंने अपना रचनात्मक कार्य-क्रम प्रस्तुत किया तब उन्होंने राष्ट्र के भौतिक पुनरुत्थान में केन्द्र का स्थान खादी और ग्राम-उद्योगों को ही दिया।

वह न केवल आर्थिक जीवन का महत्त्व स्वीकार करके उसे उसका उचित स्थान प्रदान करते थे, वरन् वह यह भी मानते थे कि माल के उत्पादन तथा वितरण के साधनों का सदाचार, राजनीति, और समाज पर भारी प्रभाव पड़ता है। वह ऐसी समाज-व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो। वह अनुभव करते थे और दूसरों को भी अनुभव कराते थे कि ऐसी समाज-व्यवस्था का निर्माण पूजीवादी पद्धति में नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी नींव ही श्रमिकों के नैतिक तथा भौतिक दोहन पर रखी जाती है। गांधीजी सब प्रकार के दोहन को, वह चाहे घन द्वारा हो चाहे अधिकार द्वारा, हिंसामय मानते थे। जहाँ हिंसा होती है वहाँ असत्य आ ही जाता है। वह चाहते थे कि माल का उत्पादन और वितरण, अर्थात् समाज के आर्थिक जीवन का सगठन, इस प्रकार हो कि उसमें हिंसा और असत्य का व्यवहार न करना पड़े। इसके लिए ही उन्होंने कृषि और उद्योग के विकेन्द्रीकरण की, यदि आवश्यकता हो तो उन्हें सहकारिता के आधार पर सगठित करने की, योजना बनाई थी। मार्क्स-वादियों के समान, गांधीजी को, पूजीवादी समाज-व्यवस्था का अन्त करने के लिए रक्तमय क्रान्ति आवश्यक नहीं जान पड़ती थी। वह दूसरों के श्रम से लाभ उठाने वाले को सम्पत्ति के स्वामित्व से वंचित करने के लिए हिंसा के प्रयोग के पक्षपाती नहीं थे। न वह यह चाहते थे कि उत्पादन के उन सब साधनों को एकाधिकारी राज्य की नौकरशाही के सुपुर्दे कर दिया जाय जिनके विषय में ऐसी कल्पना की जाती है कि पूजीवादी उनके मालिक बनकर फालतू घन कमाते अथवा श्रमिकों का दोहन करते हैं। वह तो पूजीवाद को उसकी जड़ में ही, उत्पादन-व्यवस्था में ही, समाप्त कर देने के पक्षपाती थे। माल के उत्पादन का विकेन्द्रीकरण हो जाय तो न कोई मशीनो का मालिक रहेगा न कोई गुलाम। कारीगर अपने घर में जिन औजारों या छोटी मशीनों का प्रयोग करेगा उनका वह यदि मालिक बन जाय तो भी किसी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक विपमता उत्पन्न नहीं होगी। कारीगर जिन औजारों से काम लेता है वे पनी तरह

काम को भी वह भली-भाँति नहीं समझता। उत्पादन के विकेन्द्रीकरण से पूजा ऐसे मुट्ठी-भर लोगो के हाथ में जमा नहीं होने पाती, जिनकी सख्या निरन्तर घटती जाती है। इस व्यवस्था का परिणाम आप-से-आप आर्थिक समानता होता है। और यह ममानता लोकतन्त्र में अति सहायक होती है। पूजावादी व्यवस्था में तो केन्द्रीभूत उत्पादन लोकतन्त्र का घातक होता ही है, कम्यूनिस्ट (नाम्यवादी) व्यवस्था में भी उत्पादन का स्वामित्व और प्रबन्ध राज्य के हाथ में केन्द्रित हो जाने का परिणाम लोकतन्त्र पर वही होता है। दोनो व्यवस्थाएँ व्यक्तित्व का पूरा-पूरा अन्त कर देती हैं। सम्भव है कि कम्यूनिस्ट (साम्यवादी) व्यवस्था में व्यक्तियों को अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ शीघ्र और सस्ती मिलती हों, परन्तु उसमें ऐसा उनकी स्वतन्त्रता का अपहरण करके ही होता है। और स्वतन्त्रता के बिना राजनीति, संस्कृति या सदाचार किसी क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं हो सकती।

एक युक्ति यह दी जाती है कि उत्पादन के विकेन्द्रीकरण से माल कम बनता और रहन-सहन का दर्जा नीचा रहता है। गांधीजी ऐसी किसी सम्भावना से नहीं डरते थे, क्योंकि उन्हें भारत की करोड़ों की आवादी और उसकी भयंकर बेरोजगारी का सदा ध्यान रहता था। वह कहते थे कि यदि जट-यन्त्रोको काम देकर चेतन मानवको निकम्मा कर दिया जाय तो समाज का सदाचार गिर जायगा। परन्तु जहाँ आवश्यकता हो वहाँ यान्त्रिक शक्ति से चलने वाले ऐसे यन्त्रो के प्रयोग में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी जिनसे श्रम की वृद्धि होती हो और जिनका सब लोग वाट कर उपयोग कर सकें। यह बात विजली की शक्ति से हो सकती है। इसलिए वह विजली के प्रयोग के विरोधी नहीं थे। गांधीजी रहन-सहन का दर्जा एक हृद से ऊपर उठाने के पक्षपाती नहीं थे। उनका विचार था कि यद्यपि भौतिक माधनों से आसत आदमी को अपनी बौद्धिक तथा सदाचारिक उन्नति करने में सुगमता होती है, तथापि वह उनका गुलाम (वशवर्ती) बन जाता है और एक हृद ने बड़ जाने पर उनकी सदाचारिक उन्नति रुक जाती है।

तो भी गांधीजी मानते थे कि वर्तमान परिस्थितियों में केन्द्रीभूत बड़े उद्योगों की एक दम नमाप्ति नहीं की जा सकती। आना-जाना, माल का ढोना

(परिवहन), सदेश-संचार और अन्य कुछ मूल उद्योगों को बड़े कारखानों में केन्द्रीभूत करना ही पड़ेगा। परन्तु इस प्रकार के केन्द्रीभूत उद्योगों का संचालन और नियन्त्रण, सार्वजनिक कारपोरेशनों द्वारा, और आवश्यकता हो तो राज्य द्वारा, सर्वसाधारण के लाभार्थ ही किया जाना चाहिए।

अपनी नवीन समाज-व्यवस्था को समानता, स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र की नींव पर दृढ़तापूर्वक आधारित करना ही तो राजनीति के अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र में भी विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा। व्यक्तियों का दोहन (उनसे दूसरों के लाभार्थ काम लेने की प्रक्रिया) केवल त्रुटिपूर्ण आर्थिक सगठनों द्वारा ही नहीं, त्रुटिपूर्ण राजनीतिक सगठनों द्वारा भी होता है। केन्द्रीभूत लोकतन्त्र में नौकरशाही की और एकाधिकारवादिता की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। गांधीजी देश का विभाजन ऐसे प्रदेशों में करना पसन्द करते थे जो अपनी आर्थिक आवश्यकताएँ स्वयं पूरी करने के अतिरिक्त अपनी राजनीतिक व्यवस्था भी आप ही कर सकें। वह प्रत्येक प्रदेश को एक छोटे गण-तन्त्र के रूप में देखना चाहते थे। उनका विश्वास था कि लोकतन्त्र का वास्तविक अभिप्राय ही अपने मामलों की व्यवस्था आप कर सकने की स्वतन्त्रता है और उस पर भलीभाँति आचरण छोटी इकाइयों में ही हो सकता है। इन इकाइयों को अपने मामलों के शासन का ऋण्य मीधा अपनी देन-रेख में करना चाहिए। राष्ट्र ऐसी अर्द्ध-स्वतन्त्र इकाइयों का एक प्रकार का सघ होगा।

गांधीजी द्वारा पुरस्कृत समाज-व्यवस्था का मक्षिण रूप यही है। इस प्रकार की समानता पर आधारित और आर्थिक तथा राजनीतिक दोहन से मुक्त समाज-व्यवस्था में ही आगत आदमी स्वतन्त्र सदाचारपूण और आध्यात्मिक जीवन बिता सकता है। अन्यथा, जिस प्रकार धन और सामर्थ्य पर कुछ अल्प-मर्यादों का एकाधिकार है उसी प्रकार सदाचारपूण और आध्यात्मिक जीवन भी कुछेक माधु और विद्वान् लोगों की ही अपवाद-रूप याती रह जायगा।

## सर्वोदय के आदर्श और उद्देश्य

इसलिए आदर्श क्रमशः एक ऐसे अहिंसक समाज का संगठन है जिसमें कि मानव वैयक्तिक तथा सामाजिक पूर्णता प्राप्त कर सके, जिसमें जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि में अधिकतम प्रादेशिक स्वावलम्बिता हो और जो अपने सामाजिक, सदाचारिक तथा सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्राप्ति महोद्योग पूर्वक करता हो।

अहिंसक समाज की ओर हमारी प्रगति का कदम हिंसा का प्रयोग समाप्त कर देने की हमारी सामर्थ्य पर निर्भर करेगा। हिंसा प्रायः निम्न तीन रूपों में प्रकट होती है —

- (१) दोहन में अर्थात् मनुष्य का मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने में,
- (२) अपराध करने और दण्ड देने में, और
- (३) युद्ध में।

इसलिए समाज का जीवन एक परिवार के नमूने पर ढालने का यत्न करना चाहिए, जिससे कि अपनी आवश्यकता के लिए एक दूसरे का उपयोग करने की (दोहन की) भावना समाप्त हो जाय, बुराई का प्रतिकार भलाई से किया जाय, अपराधों को चिकित्सनीय रोग माना जाय और युद्धों को भगड़े तय करने का साधन समझना छोड़ दिया जाय।

समाज में दोहन की समाप्ति और जीवन में पूर्णता की प्राप्ति के लिए रहन-सहन की सादगी अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार के समाज-निर्माण के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवनोपयोगी साधारण वस्तुएँ बनाने के प्रयोजन में थोड़ा-बहुत शारीरिक श्रम नित्य करे। प्रदेशों को अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में अधिकाधिक स्वावलम्बी होना चाहिए। हमारा मत तो यह है कि जो भी वस्तु विकेंद्रीकृत उत्पादन के



क्षेत्र में आती हो उसे केन्द्रीभूत उद्योग (इंडस्ट्री) द्वारा उत्पन्न न किया जाय और केन्द्रीभूत उद्योगों की सीमा निर्धारित कर दी जाय। प्रादेशिक स्वावलम्बिता से भाईचारे और मानव-सम्बन्धों की भावना घटती नहीं, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती और व्यापक ही होती है। इसलिए लोगों को अन्त-प्रादेशिक, सामाजिक, सदाचारिक और सांस्कृतिक प्रयत्नों में बुद्धि-पूर्वक तथा जिम्मेवारी के साथ भाग लेने के लिए अधिकाधिक शिक्षित और सज्जित करना चाहिए।

मानव के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए प्रादेशिक स्वावलम्बिता अति आवश्यक है। परन्तु उसमें (प्रादेशिक स्वावलम्बिता में) भी आर्थिक और राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के द्वारा धन, अधिकार और आवादी को एक स्थान पर केन्द्रित न होने देने का प्रयत्न करते रहना चाहिए।

ऐसा समाज जात-पात और वर्ग या श्रेणी पर आधारित नहीं होगा और न इसी कारण उसमें सबके लिए उन्नति का समान अवसर होगा। इससे मनुष्यों, पशुओं और प्रकृति के सब साधनों का पूरा-पूरा और उचित उपयोग हो सकेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति-भर उत्पादन-वृद्धि का प्रयत्न करते हुए जीवन का आवश्यक स्तर प्राप्त करने में पूरी तरह सहायक हो सकेगा।

**सम्पत्ति**—जिस सम्पत्ति का उत्पादन समाज करेगा उस पर नियन्त्रण भी समाज का रहेगा। हा, उमका स्वामी कोई व्यक्ति भी हो सकता है और समाज भी। परन्तु वर्तमान प्रतिस्पर्धा-पूर्ण अर्थ-चक्र का स्थान सहोद्योग पर आधारित सामाजिक अर्थ-व्यवस्था ले लेगी।

खेती की जमीन का मालिक जमीन जोतने वाला होगा, परन्तु उसके नियमों को निर्धारित समाज करेगा।

विकेन्द्रीकृत उद्योगों में उत्पादन के औजारों पर स्वामित्व या नो व्यक्तिओं का होगा और या सहोद्योग मस्याओं का।

केन्द्रीभूत उद्योगों पर स्वामित्व समाज का होगा और उनका संचालन मन्कार, पब्लिक कॉर्पोरेशनों और सहोद्योग-समितियों में से किसी के हाथ होगा।

## उपभोग

**राष्ट्रीय आय**—सम्पत्ति पर अधिकार की उक्त व्यवस्था, अधिकतम प्रादेशिक स्वावलम्बिता के आधार पर उत्पादन के संगठन और विकेन्द्रीकरण का परिणाम यह होगा कि मानव-शक्ति का उपयोग उत्कृष्टतम लाभ के लिए किया जायगा और आवादी में विना काम किये पेट भरने वालों की मख्या काम करने वालों की तुलना में बहुत घट जायगी। इसके अतिरिक्त, भूमि पर बोझ घट जाने के कारण प्रति व्यक्ति पीछे उत्पादन का परिमाण बढ़ जायगा।

हमारा विश्वास है कि लोगों की अन्न, वस्त्र, निवास और जीवन की उचित आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए देश में धन का उत्पादन पर्याप्त हो जायगा। और सरकार का लक्ष्य चूँकि शासन न्यूनतम करने का तथा नीति राष्ट्र के शासन-कार्य में अहिंसा का अधिकाधिक व्यवहार करने का होगा इसलिए उसकी भी आर्थिक आवश्यकताएँ विना विशेष कठिनाई के पूरी हो जायगी। भौतिक सुखों की प्राप्ति के अतिरिक्त, लोगों का सन्तोष अधिक होगा और इसी कारण सर्वत्र सुख और समृद्धि के भाव दृष्टिगोचर होंगे।

'स्वदेशी' के सिद्धान्त में जो पड़ोसी-धर्म अर्थात् पड़ोसी की सेवा का भाव निहित है वह अहिंसा का ही एक अंग है, और देश की वर्तमान आर्थिक दशा ऐसी है कि उसमें कठोर जीवन विताने की अत्यन्त आवश्यकता है, इसलिए राष्ट्र जिम किमी वस्तु के विना निर्वाह कर सके उमका विदेशों से आयात और जिन वस्तुओं की यहाँ न्यूनता हो उनका यहाँ से निर्यात नहीं होने देना चाहिए।

**जीवन-मान**—न्यूनतम आय इतनी होनी चाहिए कि उसमें भोजन, वस्त्र और निवास की आवश्यकताएँ उचित-रूपेण पूरी हो जाय। आज के दार्जार-दरों को देखते हुए एक औसत परिवार के लिए यह राशि १००) मासिक रखी जा सकती है। ऐसा यत्न करना चाहिए कि इस न्यूनतम लक्ष्य पर हम यथाशीघ्र पहुँच जाय। आर्थिक जीवन के सभी विभागों में आय को असमानता को समान कर देना चाहिए। इस प्रकार की समाज-व्यवस्था में

न्यूनतम और अधिकतम आयो का अन्तर इतना नहीं होना चाहिए कि वह जनता की विचार दृष्टि में चुभता रहे।

आयो की निर्धारित अधिकतम सीमा का पालन सभी आर्थिक वर्गों द्वारा दृढता से कराया जाना चाहिए और किसी के भी पास इतनी सम्पत्ति नहीं रहने देनी चाहिए कि उससे नियत अधिकतम से भी अधिक आय हो। इस समय सब आयो का अधिकतम परिमाण वर्तमान न्यूनतम का २० गुणा नियत करके, उचित अवधि के भीतर, उसे न्यूनतम के १० गुणा पर ले आना चाहिए।

इस प्रकार की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए कि शिक्षण और चिकित्सा की सेवा सब के लिए स्वल्प मूल्य पर सुलभ हो। सब के लिए पुस्तकालयो, छात्रो तथा उच्च विद्यार्थियो के लिए अनुसन्धान-प्रयोगशालाओ, चिकित्सको के लिए चिकित्सा-यन्त्रो और सबके लिए आने-जाने आदि की मुविधाओ की भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उन पर स्वामित्व तो समाज का रहे परन्तु उनके कारण किमी वर्ग की कार्य-कुशलता में कोई अन्तर न आने पावे।

## उत्पादन

उत्पादन-व्यवस्था को निम्न सिद्धान्तो का पालन करना चाहिए

- १ उमसे धन का वितरण व्यापक और समान हो।
- २ सुख-सम्भोग की वस्तुए तैयार करने से पहले उसे लोगो की आवश्यकताए पूरी करनी चाहिए।
- ३ उमे कार्यकर्ताओ की सब प्रकार की योग्यताओ का उपयोग करने तथा उनका व्यक्तित्व विकसित करने का साधन रहना चाहिए।
- ४ उसमे ममाज में शान्ति और सुख की वृद्धि होनी चाहिए।
- ५ उमे धन का उत्पादन यथा-शक्ति कुशलता मे करना चाहिए।

## कृषि

उत्पादन की योजनाओ का केन्द्र कृषि को और पशु-पालन सरीखे कृषि मे सम्बद्ध उद्योगो को रखना चाहिए।

यद्यपि हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जमीन-बन्दोवस्त, खेती की हालत (कृषि की परिस्थितियाँ) और उसके तरीके विभिन्न प्रकार के हैं, परन्तु अकुशलता, उत्पादन की न्यूनता और खेतों की इकाइयों की लघुता हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सर्वत्र एक-सी है।

**भूमि-सुधार**—देश के जमीन-बन्दोवस्त में व्यापक सुधार किये बिना खेती की पैदावार और कुशलता में कोई स्थायी उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए जमींदारी की समाप्ति यथा शीघ्र की जानी चाहिए। परन्तु जमींदारी-प्रथा समाप्त हो जाने के पश्चात् भी खेती न करने वाले लोगों का ध्यान जमीन की ओर बड़ी सत्या में लगा रहेगा। हमारा खयाल है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विचौलियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और समाज द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार भूमि पर स्वामित्व उसे जोतने वालों का ही रहना चाहिए। विधवाओं, नाबालिगों (अवयस्कों) और इसी प्रकार के अन्य असमर्थों के अतिरिक्त किसी को भूमि किराये पर उठाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। काश्तकार केवल उनको मानना चाहिए जो खेती के काम में स्वयं शारीरिक श्रम करे और उसमें अन्य प्रकार भाग लें।

जो लोग निरन्तर छ. वर्ष में जमीन जोत रहे हैं उनको तुरन्त ही कानून द्वारा रक्षित काश्तकार मान लेना चाहिए। खुशक और तर इलाकों में लगान क्रमशः पैदावार के  $\frac{1}{3}$  और  $\frac{1}{4}$  भाग से अथवा मालगुजारी के दुगने से अधिक नहीं होना चाहिए। लगान का निश्चय काश्तकार की सहूलियत देखकर करना चाहिए और समय-समय पर नीचे वर्णित जमीन-अदालत द्वारा उसकी जांच होने रहना चाहिए। तमाम बेदखलियाँ रोक देने चाहिए। स्थानीय जमीन-अदालतों को अधिकारों का एक लेखा तैयार करना चाहिए। इन अदालतों में सर्वोदय-आदर्श, काश्तकारों और भू-स्वामी किमानों, तीनों के प्रतिनिधि रहने चाहिए। भूमि के स्वामी को मौका दिया जायगा कि वह अपनी भूमि के उतने भाग पर पुनः अधिकार कर ले जितनी उसकी अपनी जोती हुई खेती को लाभदायक बनाने के लिए आवश्यक हो। काश्तकार को भी अधिकार होना चाहिए कि वह जमीन को उस उचित

मूल्य पर खरीद ले जो कि उचित लगान तय करने के लिए नियत जमीन-अदालत द्वारा निर्धारित किया जाय। इस खरीद में ग्रामीण-ऋण-एजेन्सी को भी सहायता देनी चाहिए।

**ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का नमूना**—वर्तमान ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था इतनी उलझी हुई है और उसे जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे इतनी विविध हैं कि भूमि के उपयोग की किसी एक पद्धति से आज की सब आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो सकती। इसलिए देश की ग्राम्य-व्यवस्था करते हुए ऐसी नीति अपनानी चाहिए कि उससे ऊपर बतलाई गई उत्पादन-व्यवस्था के सब सिद्धान्तों का पालन हो जाय। खेत चाहे अनेक प्रकार के हों, परन्तु हमें जो ग्राम-व्यवस्था करनी है उसके आधार-भूत सिद्धान्त एक-मे रहने चाहिए।

**खेतों के परिणाम**—खेतों के प्रकार उनके छोटे-बड़ेपन के अनुसार विविध होने चाहिए। उनके परिमाण को देख कर उनकी तीन श्रेणियाँ बनाई जा सकती हैं—लघुतम, स्वावलम्बी और विशालतम।

मूल विचार यह है कि स्वावलम्बी खेतों का परिमाण विविध प्रदेशों की खेती का हिसाब-किताब देखकर निम्न सिद्धान्तों के अनुसार निश्चित किया जाय—

- १ किसान उसके सहारे अपने रहन-सहन को उचित स्तर पर रख सके।
- २ उससे एक औसत परिवार को और कम-से-कम एक जोड़ी-बैल को पूरा-पूरा काम मिल सके। पूरे-पूरे काम का मतलब यह नहीं है कि किसी को फुरसत या स्त्रियों को अपनी उन्नति का अवसर भी न मिले। उनको फुरसत का और अपनी उन्नति का पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

स्वावलम्बी से भी छोटे खेतों का बन्दोवस्त फिर करने की आवश्यकता है। उनकी मर्यादा और अनुपात इतना अधिक है और वे इतनी दूर-दूर तक फैले हुए हैं कि उनका पुनः बन्दोवस्त करना बन्दोवस्त महकमे की सगठन मामर्थ्य से बाहर की बात है। इन कारण खेतों का एक लघुतम परिमाण

निश्चित करे देना पड़ेगा। ये खेत स्वावलम्बी खेतों से छोटे और इन अर्थों में अस्वावलम्बी होंगे कि उनके सहारे किसान अपना रहन-सहन एक उचित स्तर पर नहीं रख सकता, परन्तु वे इतने छोटे नहीं होंगे कि उनमें खेती ही ही न मके और उनकी पैदावार का ठीक-ठीक हिसाब तक न रखा जा सके।

**विशालतम खेत**—जो लोग खेती के लिए ज़मीन चाहते हैं उनकी मस्या की तुलना में उपलब्ध ज़मीन थोड़ी है और आजकल जिस ढंग से खेती की जाती है उसके लिए आवश्यक व्यवस्था के और पूँजी के साधन औमत किसान की सामर्थ्य से बाहर नहीं हैं, इसलिए विशालतम खेतों का परिणाम स्वावलम्बी खेत का तिगुना नियत किया जा सकता है।

हम यह भी समझते हैं कि विशालतम खेत का परिमाण नियत करते हुए ऊपर अधिकतम आय की सीमा निर्धारित करने के विषय में जो कुछ कहा जा चुका है उसे ध्यान में रखना चाहिए।

नि सन्देह उन मयुक्त परिवारों के विषय में जिनके सब सदस्य खेती के काम में शारीरिक श्रम करते हैं और नमाज-सेवा करने वाली सस्थाओं के विषय में अपवाद करने ही पड़ेंगे।

## खेतों के प्रकार

**मालिक किसान**—लघुतम में विशालतम तक की गणना में आने वाले सब खेतों की भूमि पर स्वामित्व, उचित नियमों के अनुसार, ज़मीन स्वयं जोतने वालों का होगा। इस प्रकार के पारिवारिक खेतों को अपनी पैदावार बेचने और खेती के लिए ऋण लेने में ग्राम की मण्टि-पंपस कोऑपरेटिव (विविध काम करने वाली महकारी मस्या) की म्हायता बिना किसी अपवाद के अवश्य लेनी ही चाहिए।

भूमि पर स्वामित्व की ऐसी व्यवस्था आज के युग की नामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं से मगत नहीं है जिसमें कि मालिक अपनी भूमि का बहुपयोग स्वेच्छा के अनुसार कर सके। इसलिए भूमि पर अधिकार किसान और नमाज में बटे हुए होने चाहिए। किसान को निम्न शर्तों के अनुसार

जमीन की जोत हस्तान्तरित करने और वश-परम्परा-पूर्वक अपने परिवार वालों को देने का स्थायी अधिकार होगा —

- १ वह जमीन किराये पर न उठावे।
- २ जमीन हस्तान्तरित करते हुए वह पहले के उस नियम का पालन करे जो कि उचित अधिकारी द्वारा नियत कर दिया गया हो और जमीन का मूल्य उचित ही ले, अत्यधिक न ले।
- ३ वह अच्छे किसान की कसौटियों पर खरा उत्तरे और लैण्ड-कौन्सिल (जमीन-पचायत) द्वारा समय-समय पर नियत फसलों की योजना का पालन करता रहे।

जो अधिकार सारे समाज के हैं उनका प्रयोग अपनी विविध एजेन्सियों द्वारा लैण्ड-कौन्सिल करेगी। इन एजेन्सियों का आधार गाँव-पचायत होगी, जिम्का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। पडती भूमि, गाँव के अन्य स्थानों, तालाबों और जगलों आदि गाव की सम्मिलित जायदाद पर नियन्त्रण पचायत का होगा। किमानो से जमीन-लगान वसूल करने की जिम्मेवारी भी उसकी ही होगी।

**सहकारी साभे की खेती**—लघुतम खेतों में छोटे सब खेतों को साभे की सहकारी खेती में मगठित कर देना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि लघुतम में छोटे सब खेतों को मिलाकर एक ही ऐसा बड़ा सहकारी खेत बना दिया जाय कि उसके कारण किसान अपना व्यक्तित्व खोकर अपनी उत्पादक मूझ-बूझ को भी भुला बैठे। जब कभी लघुतम खेतों के मालिक आवश्यक मस्या में मिलकर विशालतम परिमाण का खेत बनाने को तैयार हो जाय तभी सहकारी खेती आरम्भ की जा सकती है। किसानों में यदि साभे की सहकारी खेती के विरुद्ध कोई विचार हो तो उन्हें इस कार्यक्रम पर धीरे-धीरे अमल करके, प्रचार द्वारा समझा बुझा कर, उदागना-पूर्वक सरकारी महायता देकर और जमीन का इन्तजाम करने वाले महकमे में विशेषम्पेण तैयार किए हुए कर्मचारियों में इस काम को अधिक न्यायपूर्वक करवा कर दूर किया जा सकता है। इस योजना का आरम्भ पहले कुछ चुने हुए स्थानों पर, मोच समझ कर बनाई हुई अवस्था

के अनुसार, ज़मीन-बन्दोवस्त के साथ सलग्न प्रोविन्सियल कोऑपरेटिव फार्मिंग बोर्ड के नियन्त्रण में करना चाहिए।

**सामूहिक खेती**—वे-ज़मीन के श्रमिकों की ज़मीन की भूख शान्त करने के लिए और बड़े परिमाण की यान्त्रिक खेतियों की आर्थिक सम्भावनाओं की परीक्षा करने के लिए परीक्षण के रूप में नौतोड (रिक्लेमंड) भूमियों पर वे-ज़मीन श्रमिकों से सामूहिक खेती करवा कर देखी जा सकती है। ट्रैक्टर आदि यन्त्रों का प्रयोग ज़मीन को तोड़ने सरीखे आवश्यक कार्यों तक ही सीमित रखना चाहिए। आरम्भ में आवश्यक सहायता ज़मीन-बन्दोवस्त के महकमे को करनी चाहिए और जैसे-जैसे श्रमिक खेती का इन्तज़ाम करना नीखते जाय वैसे-वैसे लैण्ड-कौन्सिल का नियन्त्रण हटते जाना चाहिए।

**अनुसन्धान और परीक्षण के खेत**—लैण्ड-कौन्सिल के निरीक्षण और व्यवस्था में ऐसे अनेक खेत रहेंगे जिनमें कि खेती के अच्छे तरीके, अच्छे किस्म के बीज और सस्ते तथा अच्छे औज़ार तैयार करने के परीक्षण होते रहेंगे।

**ज़मीन का इन्तज़ाम**—इस समय ज़मीन के इन्तज़ाम और उससे सम्बद्ध अन्य व्यवस्थाओं में सबसे बड़ी कमी यह है कि उसमें गाव की आर्थिक आवश्यकताओं और समस्याओं को हल करने पर निरन्तर और सुसंगत दृष्टि नहीं रखी जाती। उममें हमदर्दी और महानुभूति का अभाव है। दफ्तरी कार्यवाहियों के कारण हरेक काम में बहुत देर लगती है। ज़मीन का इन्तज़ाम विविध कर्तव्यों को बाट कर किया जाना चाहिए। उमका सगठन एक ही रतकर उसकी प्रादेगिक इकाइया अनेक होनी चाहिए। उनमें सर्वोदय दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त विशेषज्ञ और किसानों के प्रतिनिधि भी होने चाहिए। इस समय जो अधिकार और जिम्मेदारियां गावों की आर्थिक समस्याओं को हल करने वाले अनेक महकमों को सौंपी हुई हैं वे सब इनके सुपुर्द होनी चाहिए। इन गानन-व्यवस्था के कर्तव्यों का विकेन्द्रीकरण करने के लिए अधिकतम प्रयत्न करना चाहिए, और सारे सगठन की नींव में जो इकाइया हो उन्हें अधिकाधिक अधिकार देने चाहिए।



कई ग्राम-मण्डलो को मिलाकर प्रादेशिक मगठन बना दिये जायगे और उनकी आधारभूत इकाई गाव होगी।

इन सबके ऊपर एक केन्द्रिक लैण्ड-कौन्सिल होगी जो कि प्रादेशिक मगठनो की प्रतिनिधि होगी। वह फसलो की योजना बनाएगी और दुर्लभ माघनो की प्राथमिकता का क्रम निश्चित करेगी। प्रादेशिक लैण्ड-कौन्सिलें विधि इकाइयो की प्रतिनिधि होगी और उनके कर्तव्य तथा जिम्मेदारिया अधिक विस्तृत होगी। प्रादेशिक लैण्ड-कौन्सिलो की महायता करने के लिए ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था करने वाले, सहकारी खेती के प्रबन्धकर्ता और मजदूरी तथा मूल्य-निर्धारक आदि अनेक बोर्ड होंगे।

**रूरल इकोनोमिक सिविल सर्विस**—(ग्रामीण अर्थ-चक्र का मेवक-मण्डल)—जवतक देश भूमि सम्बन्धी काम करने वाले ऐसे व्यक्तियों की एक सेना मगठित नहीं करेगा जिनकी भावना जिहादी हो तवतक न तो जनता के लिए पर्याप्त खाद्य उत्पन्न हो सकेगा और न पशुओं के लिए पर्याप्त चारा। हमें ऐसे मनुष्यों की बड़ी समस्या में आवश्यकता है जो कि निम्न स्तर के लोगो की गरीबी, निर्धनता, निरक्षरता और अस्वास्थ्य की परिस्थितियों में ही रह कर उनके मुख दुख में भाग ले सकें। इन सब लोगो को सच्चा सेवक, दृढ़ सकल्पवान और असीम धैर्यशाली होना चाहिए। इस कार्य के लिए ऐसे स्त्री-पुरुषो की भरती करनी चाहिए जो साधारणतया शिक्षित होने के अतिरिक्त उचित दृष्टिकोण वाल हो। उन्हें कृषि-सहकारी-आन्दोलन और कृषि-सम्बन्धी उद्योगो के मगठन की शिक्षा देकर रूरल इकोनोमिक सिविल सर्विस (ग्रामीण अर्थ-चक्र का मेवक-मण्डल) में सम्मिलित करने से पहले कुछ समय तक जम्याम के लिए सहकारी और सम्मिलित खेतियों पर रचना चाहिए।

प्रादेशिक लैण्ड-कौन्सिलें अपनी योजनाएँ बनाने में और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास तथा प्रबन्ध में मध्या स्वतन्त्र होगी। परन्तु कुछ समय तक इनकी साधारण नीति को राज्य की सरकार द्वारा स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।

कौन्सिलें अपने कर्तव्यों का पालन स्वतन्त्रता में और प्रभावशाली रूप

में कर सके इसके लिए उनकी आय के मावनों का न्वतन्त्र होना आवश्यक है।

**कृषि की योजनाएं**—फमलो की योजनाएं बनाने के लिए देश के मनुष्यों और पशुओं, दोनों की सब आवश्यकताओं का हिसाब लगा लेना आवश्यक है। ऐसा करते हुए सन्तुलित भोजन के सिद्धान्त और रहन-सहन के उचित स्तर की रक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस योजना का लक्ष्य यह होना चाहिए कि प्रत्येक प्रदेश अपनी कृषि-सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए अधिकाधिक स्वावलम्बी होता जाय। प्रत्येक प्रदेश की उत्पादन-मामूर्य और आवश्यकताओं को समस्त देश की आवश्यकताओं के साथ समन्वित करना और यह ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण की शक्तियों में सन्तुलन रहे। योजनाओं का निर्माण आरम्भ में गाँवों की वस्तियों में किसानों की सभाओं में किया जायगा। प्रादेशिक कौन्सिलें उसमें आवश्यक सुधार कर देंगी और उनके अन्तिम रूप का निश्चय लैण्ड-कौन्सिल में होगा। परन्तु इन योजनाओं की रचना करते और उन पर आचरण करते हुए लोकतन्त्र तथा विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्तों का ध्यान रखा जाएगा।

**किसानों का ऋण और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था**—खेती की पैदावार का मूल्य ऊँचा हो जाने पर भी अधिकतर ग्रामीण जनता का ऋण का बोझ घटा नहीं है। किमानों का और वें-जमीन के मजदूरों का ऋण, उनकी अदा करने की सामर्थ्य और ऋण के औचित्य के अनुसार अनिवार्य रूप से कम कर दिया जाना चाहिए। ऊँचे मूल्यों का लाभ केवल फालतू उत्पादन करने वाले को हुआ है। और वें ग्रामीण जनता का बहुत छोटा भाग है। ग्रामीण जनता में अधिकतर लोग अपनी आवश्यकता से भी कम उत्पादन करने वाले और वेजमीन मजदूर हैं। इसलिए बाजार-दर ऊँचे जानें का उन पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। सब महाजनो को रजिस्टर कर के उनके लेन-देन का नियंत्रण होना चाहिए। इसके साथ ही उचित दर पर ऋण मिल सकने की अन्य व्यवस्था होनी चाहिए। यह काम प्रादेशिक लैण्ड मीटिंगेज बैंको (जमीन रहन रखकर ऋण देने वाले बैंको) और विविध काम करने वाली सहकारी

सस्थाओं द्वारा होना उचित है। जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक ऋण नियंत्रित विशेष प्रयोजन के लिए और माल के रूप में देना चाहिए।

ऋण देने वाली सस्थाओं की उन्नति में बड़ी बाधा यह है कि ऐसे किसानों की सख्या बहुत बड़ी है जिनकी साख कुछ नहीं है, और केवल साख वाले किसानों को ऋण देने की योजना से समस्या का स्पर्शमात्र होता है। इसलिए किसानों को ऋण देने की आदर्श व्यवस्था में यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि साख का अभाव खेती की आवश्यकताएँ पूरी करने में बाधक न बने। जबतक ऊपर वर्णित नीति के अनुसार गाँव का जीवन सर्वथा बदल न जाय तबतक इस बात का ध्यान में रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेगा। ग्राम के व्यापार और अर्थ-व्यवस्था की कोई भी नई योजना बनाते हुए यह ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक होगा कि बाजार नियंत्रित रहे और खेती की फालतू पैदावार मल्टी-पर्पस (विविध काम करने वाली) सहकारी सस्थाओं की मार्फत बेची जाय और लाइसेंस-प्राप्त मालगोदाम रहे।

**खेत-मजदूर**—गत कुछ वर्षों में यद्यपि खेत-मजदूरों की मजदूरी रुपा-आने-पाइयो में ऊची हो गई परन्तु उनके जीवन-निर्वाह की दृष्टि से उनकी मजदूरी अब भी अपर्याप्त है। हमारे देश में अब भी ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ खेत-मजदूर मनुष्यों से हीन स्तर का जीवन वित्ताते हैं। उन्हें खेती के गुलामों की अवस्था में जीवन वित्ताना पड़ता है। इस बहुसंख्यक जनता की दासता को समाप्त करने और उसे न्यूनतम जीवन-मान प्राप्त कराने के लिए तुरन्त यत्न किया जाना चाहिए। खेत-मजदूर की सबसे बड़ी समस्या बरोजगारी और कम रोजगार है। इसलिए इन लोगों की बड़ी सख्या को तुरन्त ही सामूहिक खेतियों और खेती-संबंधी अन्य उद्योगों में लगा देना चाहिए। इनको फिर बमाने की कोई भी योजना विकेंद्रीकृत अर्थ-व्यवस्था में ही पूर्ण हो सकती है।

हमारे विद्याल देश में विखरे हुए खेत-मजदूरों को संगठित करने का यत्न होना चाहिए जिसमें कि उनका दोहन और दुर्भ्योग बन्द हो जाय। जब ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का नियन्त्रण ग्रामीण जनता के हाथ में चला जायगा तब इस प्रकार का दोहन बहुत कम और अपवाद रूप में रह जायगा।

खेती की पैदावार के मूल्य—ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को स्थिर करने के लिए फसलो और पशुओ का वीमा करने की कोई योजना होनी चाहिए। इसके साथ ही खेती और कारखानो के मालो के मूल्यो में सन्तुलन रखने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। आज तो खेती और गांव की पैदावार की कीमतें नियत करते हुए बहुत कुछ मनमानी से काम लिया जाता है। इस व्यवस्था में शहर गाव को दो प्रकार से लूटते हैं खेती की पैदावार का मूल्य शहर का खरीदार निश्चित करता है और कारखानो का जो तैयार माल गाव में जाकर विकता है उसका मूल्य शहर का दुकानदार निश्चित करता है। यदि किसानो का जीवन उचित स्तर पर लाना हो और खेत-मजदूरो का जीवन न्यूनतम उचित स्तर पर रखना हो तो कीमतें तय करने में होने वाले इस अन्याय की तुरन्त समाप्ति की जानी चाहिए। जबतक ऐसा न किया जायगा तबतक गांव के वास्तविक रोग का अर्थात् धन और बुद्धि के गांव में शहर की ओर प्रवाह का अन्त नहीं होगा।

### उद्योग-व्यवसाय

हमारी अर्थ-व्यवस्था के उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में मार्ग-दर्शक सिद्धान्त यह होना चाहिए कि जिम किसी वस्तु का उत्पादन विकेन्द्रीकृत उद्योग द्वारा किया जा सके उसे केन्द्रीकृत उद्योग द्वारा उत्पन्न न किया जाय।

औद्योगिक उत्पादन का सगठन ऊपर बतलाये गये उत्पादन सम्बन्धी सिद्धान्त के अनुसार ही होना चाहिए। अन्ततोगत्वा उपभोक्ताओ की आवश्यकता के सब सामान विकेन्द्रीकृत उद्योगो द्वारा ही तैयार किये जायगे और केन्द्रीकृत उत्पादन और नियन्त्रण सामरिक उद्योगो, पावर के उत्पादन, खानो, धातुओ के उद्योगो, जगलो, भारी यन्त्रो व इजीनियरिंग के कारखानो, औजारो और रासायनिक सामानो आदि तक ही सीमित रहेगा। अब दैनिक आवश्यकता के जो सामान केन्द्रीकृत उद्योगो द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं उनको विकेन्द्रीकृत उद्योगो द्वारा तैयार करने के लिए निरन्तर अनुसंधान करते रहना चाहिए। केन्द्रीभूत उद्योगो का नया सगठन करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन और समाज जब छोटी ग्रामीण इकाइयो में विभक्त

हो जायगा तब भी हमें केन्द्रीकृत उद्योगों की आवश्यकता तो रहेगी ही। बड़े कारखानों को इस प्रकार योजनापूर्वक ग्रामों में स्थापित कर देने से देश का विकास अधिक समानता के आधार पर हो सकेगा।

स्वाद्य और अन्य मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उद्योगों को विकेन्द्रित कर देना चाहिए और इन वस्तुओं में केन्द्रीकृत उद्योगों द्वारा प्रतिस्पर्धा का तो तुरन्त अन्त कर देना चाहिए। यह ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए कि खेती की पंदावार को तैयार करते हुए उसका पौष्टिक तत्त्व नष्ट न हो जाय। चावल, वनस्पति और चीनी की मिलों में जो तरीके वरते जाते हैं उन पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है।

केन्द्रीभूत उद्योगों को विकेन्द्रीकृत उद्योगों का सहायक मान कर ही चलाना चाहिए, जिससे कि विकेन्द्रीकृत उद्योगों की उत्पादन-शक्ति बढ़ जाय और उनको औजार तथा कच्चा माल इत्यादि मिलते रहे। केन्द्रीभूत उद्योगों पर स्वामित्व समाज का होना चाहिए और उनका मंचालन यथा-सम्भव स्वतन्त्र कॉर्पोरेशनों अथवा सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए। केन्द्रीभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए और उनके मुआवजों का निश्चय अधिकतम आय के लिए जो सिद्धान्त निर्धारित कर दिए गए हैं उनके अनुसार करना चाहिए। यह मुआवजा देने का लक्ष्य उन लोगों का पुनर्वास होना चाहिए जिनमें कि उनकी सम्पत्ति ली जा रही है। जबतक इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न हो तबतक उनका नियंत्रण समाज के और प्राप्तव्य आदर्श के लाभ की दृष्टि में किया जाना चाहिए। केन्द्रीभूत और विकेन्द्रीकृत उद्योगों में आजकल जो विनाशक प्रतिस्पर्धा चलती है उसका तुरन्त अन्त कर देना चाहिए। इस प्रयोजन से उत्पादन के कुछ क्षेत्र ग्रामीण उद्योगों के लिए सुरक्षित करके उनकी सहायता प्रतिस्पर्धा करने वाले केन्द्रीभूत उद्योगों पर टैक्स लगाकर करनी चाहिए। केन्द्रीभूत उद्योगों के जो पुरजों आदि घिम जाय उनको फिर बदलना नहीं चाहिए और न नये यन्त्र लगाने देने चाहिए। इस प्रकार कुछ समय पश्चात् केन्द्रीभूत कारखाने अपने आप समाप्त हो जायेंगे और उनका स्थान विकेन्द्रीकृत उद्योग ले लेंगे।

मौलिक (बुनियादी) उद्योगों की सगठन-सम्बन्धी और टैक्निकल कुशलता उनकी व्यवस्था को सुधार कर और उनका संचालन बुद्धिपूर्वक करके बढ़ानी चाहिए और उनका नियन्त्रण प्लैनिंग कमीशन के मातहत एक पृथक् कौन्सिल के हाथ में सौंप देना चाहिए। अब से पौंड-पावने (स्टर्लिंग वेल्लेस) का उपयोग मुख्यतया केन्द्रीभूत उद्योगों को इस प्रकार बुद्धिपूर्वक और अधिक व्यवस्थापूर्वक चलने के लिए यन्त्रादि मगाने में करना चाहिए। हमारे नियन्त्रित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में यदि कुछ विदेशी मुद्रा बचे तो उसका प्रथम उपयोग इस प्रयोजन के लिए यन्त्रादि मगाने में करना चाहिए। इस प्रकार विदेशी मुद्रा के उपयोग की प्राथमिकता का निश्चय प्लैनिंग कमीशन को करना चाहिए, जो कि कृषि विकेन्द्रीकृत उद्योगों और केन्द्रीभूत उद्योगों का प्रतिनिधि होना चाहिए।

**विदेशी कार-बार**—हमने जो अर्थ-व्यवस्था निर्धारित की है उसमें विदेशी कार-बारों के लिए कोई स्थान नहीं—वे चाहे केन्द्रीभूत कारखानों में उपभोक्ताओं के पदार्थ तैयार करते हों और चाहे आधारभूत उद्योगों का सामान बनाते हों। जिस प्रकार उपभोक्ताओं की आवश्यकताएँ पूर्ण करने वाले केन्द्रीभूत देशों कारखाने टैक्स लगाने, सरकारी सहायता देने और उत्पादन को नियन्त्रित करने की योजनाओं के अनुसार क्रमशः समाप्त हो जायेंगे और मौलिक उद्योगों के कारखाने राष्ट्र की सम्पत्ति बन जायेंगे, उसी प्रकार विदेशी कार-बार भी या तो समाप्त हो जायेंगे और या उनका राष्ट्रीयकरण हो जायगा। इस मामले में विदेशी कारवारियों के पक्ष या विपक्ष में कोई भेद नहीं करना चाहिए।

**आर्थिक सिविल सर्विस**—राष्ट्रीयकृत उद्योगों का भलीभांति विकास करने के लिए उपयुक्त शासन-संगठनों की स्थापना करनी चाहिए। निम्न मामलों पर तुरन्त ही विशेष ध्यान देना चाहिए।

- १ आर्थिक सिविल सर्विस की स्थापना जो कि उद्योगों के लिए विविध ग्रेडों के कार्यपालक (एग्जेक्यूटिव) कर्मचारी मुहैया करेगी। वर्तमान केन्द्रीभूत उद्योगों के मालिकों के अनुभव और व्यवस्था-सम्बन्धी योग्यता का, उन्हें प्रस्तावित आर्थिक

सिविल सर्विस में खपा कर, इस काम के लिए उपयोग किया जा सकता है।

- २ आवश्यक औद्योगिक अधिकारियों का प्रशिक्षण।
- ३ कार्यकर्ताओं का टैक्निकल प्रशिक्षण और साधारण शिक्षण।
- ४ दुर्लभ और सामरिक आवश्यकताओं के साधनों का नियन्त्रण।
- ५ आर्थिक साधनों का विस्तृत व सूक्ष्म सर्वे (अध्ययन और निरीक्षण)।

**औद्योगिक अनुसन्धान**—मौलिक (बुनियादी) उद्योगों में सगठन कुशलता और टैक्निकल साधनों की उन्नति सुनिश्चित औद्योगिक अनुसन्धान पर ही निर्भर करती है। अब तक अनुसन्धान का लक्ष्य केन्द्रीभूत उद्योगों का नफा बढ़ाना ही रहा है। अब इस अनुसन्धान के कार्य का संचालन इस प्रकार होना चाहिए कि केन्द्रीकृत उद्योग विकेन्द्रीकृत उद्योगों की सगठन-कुशलता और उत्पादन-कुशलता की वृद्धि में सहायक हो और वे समाज की सेवा का साधन बन जाय। अनुसन्धान का लक्ष्य यह भी होना चाहिए कि केन्द्रीकृत उद्योगों का सगठन उन्हें छोटी इकाइयों में बांट कर और उनका ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार विस्तार करके किया जा सके कि छोटे पैमाने के उद्योग-धन्धे इन केन्द्रीकृत उद्योगों के सहायक बन जाय।

**विकेन्द्रीकृत ग्रामीण उद्योग**—इन उद्योगों का लक्ष्य प्रादेशिक स्वावलम्बन होना चाहिए। इन्हें सब लोगों को विविध रोजगारों में लगाने में और अपने प्रदेश के प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने में समर्थ होना चाहिए।

इन उद्योगों की उन्नति औद्योगिक सहकारी मस्याओं द्वारा इस प्रकार की जानी चाहिए कि स्थानीय लोग ही उनके लिए कच्चा माल मुहैया करें और वे अपने मदद्यों को माल के उत्पादन और विक्रय में मार्ग-प्रदर्शन करती रहे। यदि सम्भव हो तो उनके लिए सम्मिलित कारखाने और उत्पादन की सुविधाएँ दी जाय। स्थायी प्लानिंग कमीशन के आधीन एक पृथक कौन्सिल इन उद्योगों के मार्ग-प्रदर्शन और सगठन के लिए होना चाहिए। इस नारे कार्य का लक्ष्य, एक ऐसे मध्यम सगठन का निर्माण है

जिसकी इकाइया प्रारम्भिक पचायते, प्रादेशिक यूनियनों, और एसोसिएशन आदि होंगे।

इन उद्योगों को कुशलता, जहाँ विजली मिल सके वहाँ सब कारीगरों को विजली देकर और ऐसे यान्त्रिक साधनों का उपयोग करके जिनसे कि सबको रोजगार मिलने में बाधा न हो, बढ़ाई जा सकती है।

यदि कारीगर और श्रमिक कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार माल बेचने की परेशानियों से आजाद रहेंगे तो वे अपना सारा ध्यान उत्पादन पर लगा सकेंगे।

जिन अनेक उद्योगों को शुरु-शुरु में ऋण अथवा सहायता की आवश्यकता होगी उनके लिए इनकी व्यवस्था प्लैनिंग कमीशन के मातहत लैण्ड-कौन्सिलें और विकेन्द्रीकृत उद्योगों की कौन्सिल, औद्योगिक सहकारी संस्थाओं द्वारा करेंगी।

विकेन्द्रीकृत उद्योगों की उन्नति के लिए निम्न उपायों का तुरन्त ही अवलम्बन किया जा सकता है।

सरकार और सार्वजनिक संस्थाएँ यथाशक्ति ग्रामीण उद्योगों के माल का ही उपयोग करें। गृह और ग्रामीण उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल, औजारों और उनके तैयार माल को औक्ट्रोय, टर्मिनल टैक्स (चुगी), वित्री टैक्स और अन्य इसी प्रकार की देनदारियों से मुक्त रखा जाय। इन उद्योगों को जगल की पैदावार स्टैंडर्ड दरों पर मुहैया करने में पहल दी जाय। सरकार जगलों के माल पर टैक्स लगाने में मुख्य ध्यान अब तक अपनी आमदनी का रखती है। उसे चाहिए कि वह उस नीति को बदल कर लोगों की आवश्यकता के माल तैयार कराना अपना लक्ष्य रखे। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इन उद्योगों को लोहे, कोयले, कास्टिक सोडा, और अन्य कॅमिकलों आदि जिन सामानों की कमी रहती हो वे इन्हें औरों से पहले दिये जाय। जब प्लैनिंग कमीशन विकेन्द्रीकृत उद्योगों की कौन्सिल के साथ मिलकर अपना काम पूरी तरह करने लगेगा तब इस प्रकार की पहल का निश्चय करना सरल हो जायगा। इन उद्योगों का



विकास ठीक प्रकार के नेताओं के मिलने पर बहुत निर्भर करता है। इसलिए सगठन-कर्ताओं, टैक्निशियनों और व्यवस्थापकों का एक वर्ग उचित शिक्षण द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। रूरल इकॉनॉमिक सिविल सर्विस को ऐसे स्त्री और पुरुष तैयार करने चाहिए जो विकेन्द्रीकृत उद्योगों की सेवा भली भाँति कर सकें।

**उद्योगों में मालिक मजदूर सम्बन्ध**—जब हमारी औद्योगिक व्यवस्था का आधार विकेन्द्रीकृत और राष्ट्रीय मिलकियत के केन्द्रीकृत कारखाने हो जायेंगे तब मालिकों और मजदूरों के सम्बन्धों की समस्या आपसे आप बहुत सरल हो जायगी। विकेन्द्रीकृत कारखानों में भाड़े या मजदूरी पर रखे हुए मजदूर बहुत कम होंगे। और चूँकि वे मजदूर नज़दीकी सामाजिक सम्बन्धों के वातावरण में काम करेंगे इसलिए मजदूरों के दोहन का अवसर ही कठिनाई से कोई आयागा।

सार्वजनिक स्वामित्व में मंचालित केन्द्रीकृत उद्योगों में कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरी की सब सुविधाओं और अधिकारों की सहूलियत उपलब्ध रहेंगी। इन उद्योगों के प्रवन्ध में भी उनका हाथ रहेगा।

परिवर्तन-काल में श्रमिकों को लाभ में भाग देकर और प्रवन्ध में उनका प्रतिनिधित्व रख कर श्रम और पूँजी में मिश्रतापूर्ण सम्बन्धों को बढ़ाना चाहिए। प्रत्येक उद्योग की प्रतिदिन की व्यवस्था-समस्याओं को हल करने के लिए वर्क्स कमेटियों को और मजदूरों का तथा काम की अवस्थाओं का निश्चय करने के लिए प्रादेशिक श्रमिक बोर्डों को सगठित करते हुए, उनमें श्रमिकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को उचित अनुपात में सम्मिलित करने का ध्यान रखा जाना चाहिए। उत्पादन में निरन्तरता रखने और विघ्न न पड़ने देने के लिए आवश्यक है कि मालिकों और मजदूरों के सब झगड़े आपसी समझौते, पच-फँसले और मध्यस्थता द्वारा हल किये जायें। कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन, उचित मकान और वृद्धापे, बीमारी और शैरोज्जगारी के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाइयों से रक्षा की गारण्टी दी जानी चाहिए।

## बैंक, बीमा और मुद्रा

साधारण अर्थों में आर्थिक योजना का विचार आरम्भ करने ही बड़े पैमाने पर पूजा के संग्रह और विनियोग का प्रश्न सामने आ खड़ा होता है। परन्तु हम जिन विकेन्द्रित ग्रामीण उद्योगों की योजना पेश कर रहे हैं उनमें समस्या पूजा की अपेक्षा श्रमिकों की अधिक है। तथापि इतने बड़े क्षेत्र में कार्य करने पर पूजा का विनियोग तो होगा ही। परन्तु वह होगा बहुत फैल कर और क्योंकि हमारी योजना के अनुसार जो केन्द्रीभूत उद्योग उपभोक्ताओं के सामान तैयार करने हैं उनमें घिसे हुए पुरजो आदि को बदलने की इजाजत नहीं दी जायगी। इसलिए अभी इन उद्योगों में जो पूजा लग रही है वह विकेन्द्रीकृत उद्योगों के लिए सामान मुहैया करने के लिए मिल सकेगी। पूजा की वचत इन प्रकार भी होगी कि व्यापार को यथाशक्ति स्वावलम्बी प्रदेशों में सीमित और संगठित कर दिया जायगा और उनमें भी लेन देन अधिकतर विविध काम करने वाली सहकारी संस्थाओं द्वारा अदले-बदले के आधार पर होगा।

इसके विपरीत खेती और आधारभूत उद्योगों के लिए पूजा की बड़े परिमाण में आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारी अर्थ-व्यवस्था के अनुसार रहन सहन का स्तर ऊँचा करने के लिए उनकी टैक्निकल कुशलता को बढ़ाना आवश्यक होगा। कृषि की उन्नति करने के लिए फसलों और पशुओं का बीमा संगठित करना होगा। बीमे के प्रीमियम नकदी के स्थान पर माल के रूप में बनूल किये जायेंगे।

तात्कालिक कार्यक्रम यह होना चाहिए कि मामूहिक परिमाण पर वचत की जाय और पूजा के विनियोग को कृषि और विकेन्द्रीकृत उद्योगों के लाभ की दृष्टि में नियन्त्रित किया जाय और अन्ततोगत्वा बैंकों और बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय, जिससे कि राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था की बड़े-बड़े पूजापतियों के दोषपूर्ण जोड़-तोड़ों से रक्षा हो सके। रूरल फाइनेन्स बोर्ड (ग्रामीण आर्थिक बोर्ड) के अवीन विविध कार्य करने वाले सहकारी संस्थाओं का देशव्यापी जाल होना चाहिए, जिसकी पहुँच समाज के निम्नतम स्तर तक हो। इन संस्थाओं को गृहीत-नै-गृहीत

आदमियों की वचत का भी उपयोग करने में समर्थ होना चाहिए। पूजी-विनियोग और उत्पादन की समस्याएँ एकमात्र इस प्रकार के सगठन से ही हल हो सकती हैं। सामूहिक रूप में वचत का आरम्भ, पूजी के सग्रह और विनियोग का प्रादेशिक आधार पर सगठन करके करना चाहिए। शहरी इलाकों की वचत का विनियोग सरकारी ऋणों में करना चाहिए और उन ऋणों का इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कोर्पोरेशन की मार्फत सार्वजनिक स्वामित्व के केन्द्रीकृत उद्योगों में लगाना चाहिए।

हमारा उद्देश्य यह है कि अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक विभाग में मुद्रा का उपयोग यथाशक्ति कम कर दिया जाए। इस समय आर्थिक विषमता का प्रधान कारण 'मुद्रा का आवरण' (लेन देन का नकदी आधार) ही है। स्वावलम्बी विकेन्द्रित आर्थिक जीवन में आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन बहुत घट जायगा। और जो होगा वह भी अधिकतर अदले-बदले के द्वारा होगा। मजदूरियाँ और टैक्स भी यथाशक्ति माल के रूप में ही दिए जायगे। कृषि तथा उद्योगों के लिए ऋण विशेष प्रयोजनों से ही दिया जाएगा। फलतः नकदी का उपयोग न्यूनतम हो जायगा। जब सल्लिहानों का और नमक, सूत तथा लोहे के स्थानीय गोदामों मरीखी विकेन्द्रित मस्थाओं का विकास हो जायगा और रूरल क्रेडिट बोर्ड तथा इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कोर्पोरेशन क्रमशः कृषि तथा विकेन्द्रीकृत सार्वजनिक स्वामित्व के केन्द्री-भूत उद्योगों में योजनापूर्वक पूजी और वचत का उपयोग करने लगेंगे और मुद्रा तथा ऋण का उचित नियन्त्रण मंत्रालय के करने लगेगा तब बाजार में न कभी तेजी आयेगी न कभी मन्दी, और तब मुद्रा का विस्तार माल के विस्तार के अनुसार ही होने लग जायेगा।

## वितरण

घरेलू लेन-देन—ज्यों-ज्यों प्रादेशिक स्वावलम्बिता का विकास होता जायगा त्यों-त्यों अन्तः प्रादेशिक व्यापार की आवश्यकता आप-से-आप घटती जायगी। परन्तु प्रादेशिक इकाइयों की स्वावलम्बिता स्वभावतः विविध वस्तुओं के अनुसार विविध होगी। किसी वस्तु के लिए इकाई

ग्राम अथवा तालुका होगा और किसी के लिए कुछ ग्रामों का समूह। प्रादेशिक आर्थिक इकाई अपनी विविध काम करने वाली सहकारी सस्थाओं के द्वारा केवल उन वस्तुओं को बाहर भेजेगी जो उसके पास फालतू होगी अथवा जिनको वह अपेक्षाकृत सस्ता तैयार कर सकेगी। इसी प्रकार जिन वस्तुओं को वह अपेक्षाकृत सस्ता तैयार नहीं कर सकेगी और जो उसके जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक होगी उनको वह अपनी विविध काम करने वाली सहकारी सस्था के द्वारा बाहर से मगावेगी। शहरी इलाकों से ग्रामीण इलाकों को जो वस्तुएं जाय उनका नियंत्रण विविध काम करने वाली सहकारी सस्थाओं के मार्फत ही होना चाहिए। सरकारी और गैर-सरकारी आधार पर, जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं में प्रादेशिक इकाइयों को स्वावलम्बी बनाने की सम्भावना के अनुसन्धान का कार्य तुरन्त ही हाथ में लिया जाना चाहिए।

**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार**—जिन वस्तुओं के बिना राष्ट्र का काम चले सके उसका आयात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देश का वैदेशिक व्यापार प्लैनिंग कमीशन के अधीन एक पब्लिक कॉर्पोरेशन के सुपुर्द कर देना चाहिए। जहां तक हो सके वहां तक आयात की हुई वस्तुओं का वितरण सहकारी सस्थाओं की मार्फत करना चाहिए। जिन कच्चे मालों और सामरिक उपयोगिता की वस्तुओं का उपयोग देश में हो सके उनका निर्यात नहीं करना चाहिए। यदि प्लैनिंग कमीशन सिफारिश करे तो विदेशी पूंजी को सरकारी ऋण के रूप में आने दिया जा सकता है। परन्तु वह ऋण भी ससार के बैंक से ही लेना चाहिए। व्यापार के सम्बन्ध उन्हीं विदेशों के साथ बढ़ाने चाहिए जो कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के सहायक हों, समृद्धि एक अविभाज्य वस्तु है और इसलिए हमारा विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से ससार के विविध देशों के विकास में भी महायत्ना मिलेगी।

### परिवहन और सन्देश-संचार

व्यापारिक और आर्थिक कारणों से नडको और रेलों का विस्तार अत्यधिक बढ़ गया है। अहिंसामय विकेन्द्रोक्त समाज में मार्ग-निर्माण

की योजना का आधार सर्वथा विभिन्न होगा। रेलो, सड़को, आन्तरिक जल-मार्गों, तटवर्ती जहाज-मार्गों, डाक और तार और हवाई यातायात सरीखे सार्वजनिक साधनों का संगठन इस प्रकार होना चाहिए कि मुख्य दृष्टि ग्राम पर रहे। विकेन्द्रीकृत अर्थ-व्यवस्था में माल ढोने के साधनों (परिवहन) पर, विशेषतः रेलो और पक्की सड़को पर, बोझ बहुत कम पड़ेगा। मानव और पशु-शक्ति का प्रा-पूरा काम देने के लिए देहातो में माल ढोने का मुख्य साधन बैलगाटी को ही रखना चाहिए। इस समय पक्की ट्रक सड़को की नितान्त आवश्यकता नहीं है। परन्तु गावों तक पहुँचने वाली सड़को और आन्तरिक जल-मार्गों के निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए। आन्तरिक जल-मार्गों से तीन लाभ होते हैं। उनसे मल्लाहों को रोजगार मिलता है, वे माल ढोने के लिए सस्ते पड़ते हैं, और उनमें खेतों की मिचाई भी होती है।

प्रादेशिक स्वावलम्बन का अर्थ सब तरफ से सम्बन्धों का तोड़ लेना नहीं है। इसलिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक देहातो में डाक, तार और टेलीफोन की सहूलियतों का विस्तार करना चाहिए।

अबतक रेलों के दर इस प्रकार निर्धारित किए जाते रहे हैं कि उनसे विकेन्द्रीकृत ग्रामीण उद्योगों को बहुत हानि हुई है। इसलिए तुरन्त ही स्वावलम्बिता को लक्ष्य में रखकर काम करना चाहिए। रेल, डाक, तार, जहाज और वायुयान आदि सार्वजनिक उपयोग के साधनों का स्वामित्व यथाशक्ति जनता के हाथ में होना और उनका प्रबन्ध प्रादेशिक सस्थाओं की मार्फत केन्द्र के हाथ में रहना चाहिए।

### स्वास्थ्य और सफाई

यह मानना पड़ेगा कि स्वास्थ्य की समस्या डिस्पेन्सरियों और हस्पतालों का जाल फैलाकर हल नहीं की जा सकती। ये वस्तुएँ राष्ट्रीय आय पर भारी बोझ होती हैं और पेशेवर डाक्टरों ने इनको सेवा की सस्थाओं के स्थान पर आमदनी और व्यापार का केन्द्र बना लिया है। हमारे समाज के वर्तमान संगठन में तो हमारी स्वास्थ्य-सेवाओं पर अधिकार

ही अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों का हो गया है।

पहली बात यह है कि लोगों को अपना स्वास्थ्य आप ठीक रखने और बीमार न होने की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें स्वास्थ्य के सम्बन्ध में निम्न मौलिक सिद्धान्तों का शिक्षण देना चाहिए —

**सफाई**—सफाई में अपने शरीर और अपने अडोम-पडोस के स्थान की भी सफाई शामिल है। उसमें घर के गन्दे पानी और कूड़े करकट को ठिकाने लगाने की बात विशेष रूप में शामिल है। इस कूड़े करकट से, मल मूत्र में और गाव के गोबर आदि में कम्पोस्ट का बनाना भी इसीमें शामिल है। यदि गावों में पशु वाधने के म्यानों की व्यवस्था भली-भाँति कर ली जाय तो यह कार्य सरल हो जायगा।

**भोजन-शास्त्र**—इस समय हमारे देश की जनता के भोजन का प्रधान भाग अनाज है। स्वास्थ्य और शक्ति को भली-भाँति सुरक्षित रखने के लिए भोजन का उचित रूप में सन्तुलित होना आवश्यक है। इस प्रयोजन की सिद्धि लोगों में सन्तुलित भोजन की आदत डालकर ही की जा सकती है। लोगों को यह सिखाने की आवश्यकता है कि खाद्य-वस्तुओं का पौष्टिक तत्व नष्ट किए बिना भोजन किस प्रकार पकाना और तैयार करना चाहिए। औषधियों की आवश्यकता साधारणतया शरीर की न्यूनताओं को पूरा करने के लिए ही हुआ करती है। भोजन-शास्त्र की दृष्टि से ठीक-ठीक भोजन करने पर हम लोगों का निरोध और इलाज स्वयं कर सकेंगे। गावों के लोगों को आजकल बहुधा रोग गलत अथवा निरन्तर एक-सा भोजन करने के कारण होते हैं। शरीर को निर्बल करने वाले मलेरिया मरीचे रोगों का प्रतिरोध भली-भाँति हो सकता है यदि लोग ऐसे सन्तुलित भोजन करने का अभ्यास कर लें जिन्हें वे उपलब्ध माधनों द्वारा ही अपने घरों में तैयार कर सकते हैं।

**काम-वास्तना का दमन**—भारत की ग्रामीण जनता की एक समस्या यह है कि उन्हें पौष्टिक भोजन नहीं मिलता और उसकी मृदुल करने की शक्तियाँ दबी रहती हैं। इसका एक परिणाम काम-वास्तना का बढ़ जाना

जाता है कि उन्हें सीखकर ग्रामवासी अपने जीवन को स्वावलम्बी बना सकें। इस नवीन शिक्षण-पद्धति में मानसिक शिक्षण का भाग न्यूनतम कर दिया जाता है। इसमें विद्यार्थी को ऐसी कोई बात नहीं सिखलाई जाती जो कि आधारभूत जीवन के साथ प्राकृतिक रूप से सम्बद्ध आवश्यकताओं से अपने-आप उद्भूत न होती हो।

इस प्रकार इस शिक्षण-पद्धति में एक ओर प्रकृति का अध्ययन और दूसरी ओर मानव समाज का अध्ययन एक दूसरे के साथ इस प्रकार गुथ जाते हैं कि इनसे जीवन को समझने में सहायता मिलती है। और मनुष्य केवल इस प्रकार अपने जीवन के उद्देश्य को ठीक-ठीक समझ सकता है।

बुनियादी तालीम सांस्कृतिक और दस्तकारी के शिक्षण का समन्वय है।

जिस समाज में युवकों को सदा एक दूसरे का मुकाबला करने, लड़ने और एक दूसरे को जीतने का शिक्षण दिया जाता हो उसमें सदाचार का मूल्य सिखाने की बहुत आशा नहीं रखी जा सकती। शक्ति, अधिकार, हकूमत और अपने बड़प्पन के लिए दिए हुए शिक्षण की, उस शिक्षण के माथ कोई सगति नहीं बैठ सकती जो मन, हृदय और भावनाओं के विकास के लिए दिया जाने वाला हो।

मसार के महान् धर्मों की शिक्षाएँ इसी प्रकार की शिक्षण-पद्धति में सम्मिलित की जा सकती हैं जिनका लक्ष्य मन्तोप, स्वावलम्बन और मदाचार और सहकारिता हो। धर्मों और सस्कृतियों के अतिरिक्त, लोभ-लालच और स्वार्थमय सधर्मों ने मानव-समाज को हिंसात्मक जीवन का नियम मानना सिखला दिया है। अहिंसात्मक समाज इस प्रक्रिया को उलट देगा। वह सब धर्मों को समान रूप से मृत्यु और उन्नति तथा पूर्णता कराने में समर्थ मानकर चलेगा। नई शिक्षण पद्धति का लक्ष्य ऐसी मानवता होगी जिसका आधार अपरिग्रह, अहिंसा और मृत्यु होंगे।

प्रारम्भ में शिक्षण उम ही भाषा द्वारा दिया जायगा जिसे लोग बोलते हैं। इस बात की कोई परवाह नहीं की जायगी कि वे भाषाएँ भली भाँति उन्नत हैं या नहीं। उच्च शिक्षण में देश की राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग किया जायगा।

मामूहिक कार्यों के लिए अनुशासन का अभ्यास बुनियादी तालीम का आवश्यक भाग होगा। परन्तु शिक्षण के क्षेत्र पर सैनिक शिक्षण को आक्रमण नहीं करने दिया जायगा।

## व्यक्ति, राज्य और समाज

अर्हिसामय समाज में माल के उत्पादन, शासन के नियन्त्रण और राजनीतिक अधिकार के मामले में अधिकतम विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।

आज समाज के अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की प्रायः सर्वत्र चर्चा है। ऊपर पहुँच कर भीड़ से बचने के लिए और लोकतन्त्र को प्रभावगाली बनाने के लिए ऐसा यत्न किया जा रहा है कि अधिकाधिक शक्ति शासन के ऊपर की इकाइयों से लेकर नीचे की इकाइयों के और गैर-सरकारी सगठनों के हाथ में सौंप दी जाय।

परन्तु शासन के अधिकार सौंपने के मामले में हमारी प्रवृत्ति ऊपर लिखे हुए विचार से मूलतः भिन्न है। वर्तमान व्यवस्था में शक्ति और अधिकार ऊपर से नीचे की ओर को चलते हैं। इसके विपरीत हमारा विचार यह है कि अधिकारों का उद्भव शासन की आधारभूत इकाइयों में होकर उन्हें नीचे से ऊपर की ओर को बढ़ना चाहिए।

देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात् जो वादविवाद और झगड़े खड़े हो गये हैं उन्हें हम भली भाँति जानते हैं। हम एक केन्द्रिक सरकार के नियन्त्रण में राष्ट्र की एकता और स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने की आवश्यकता अनुभव करते हैं, परन्तु साथ ही हम यह भी अनुभव करते हैं कि जो सरकार व्यक्तियों के विचार और बुद्धि को स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने का अवसर नहीं देती और जो साधारण जनो की सूझ-बूझ का उपयोग नहीं करनी उसका बल वह बल नहीं हो सकता जो कि उस शासन का होता है जिसे कि लाखों करोड़ों जनता का बुद्धिपूर्वक सहयोग और उसकी विविध संस्कृतियों तथा विकास की शक्तियों की सहायता का लाभ मिलता रहता है। इसलिए हमारा कथन यह है कि ग्राम-पंचायतों को शासन की प्रारम्भिक इकाइयाँ मानकर उनको शासन के पर्याप्त अधिकार देने चाहिए। अन्य



सामाजिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए और सामाजिक सहयोग के लिए मनुष्य जितना अधिक राज्य पर निर्भर करेगा उतना ही वह समाज से दूर हटता जायगा। विकेन्द्रीकृत समाज-व्यवस्था में अधिकाधिक समस्याओं का हल स्थानीय इकाइयों द्वारा किया जाता है। व्यक्ति शासन में सीधा और सोच समझ कर भाग लेता है और राज्य की इच्छा की पूर्ति करवाने के लिए, विरोधियों को, संगठित सामाजिक जीवन के लाभों से वंचित कर दिया जाता है। इस प्रकार के समाज में ऐसी-संस्थाओं का निर्माण किया जायगा जो कि राज्य की दमनकारी शक्ति के सहारे से नहीं, अपितु प्रेम, अहिंसा, असहयोग और सत्याग्रह के बल से अपना कार्य सफल करेंगी। इस प्रकार का समाज संगठित करने का अर्थ पुराने ग्राम-समाज अथवा नगर-राज्य (सिटी-स्टेट) की ओर को लौटना नहीं है, अपितु यह मनुष्य के उम मर्घर्ष की यशस्वी सफलता है जो कि वह व्यक्ति और समष्टि में समन्वय करने के लिए युगों से करता चला आ रहा है।

**पुलिस और सेना के शासन में सरकार द्वारा अहिंसा का अधिकाधिक प्रयोग**—सेना द्वारा रक्षा कराने में हमारा विश्वास नहीं है। हम आरम्भ में ही यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा परम लक्ष्य सेना के स्थान पर अहिंसामय रक्षा को प्रतिष्ठित करना है। जीवन और सम्पत्ति का विनाश, दुःख और खेद की वस्तुएं हैं, यश और अभिमान की नहीं। इसलिए सैनिकों को प्रतिष्ठित और सम्मानित करने की परम्परा तुरन्त समाप्त कर देनी चाहिए और उसके स्थान पर अहिंसापूर्वक रक्षा करते हुए साहम, दृढ़ता, सहिष्णुता और स्वार्थत्याग के जिन उत्कृष्ट गुणों का प्रकाशन हो उनका सम्मान किया जाना चाहिए।

परन्तु हमें मानना पड़ता है कि आज की परिस्थिति में सरकार तुरन्त सेनाओं की समाप्ति के आदेश पर आचरण नहीं कर सकेगी। परन्तु परिवर्तन-काल में भी अहिंसापूर्वक प्रतिरोध की भावना जागृत करने के लिए तत्काल प्रभावशाली उपायों का अवलम्बन किया जाना चाहिए। इसके लिए ईमानदारी, मावजनिष्ठ भावना, स्वार्थत्याग और अनुशासन के गुणों की अत्यन्त और मौलिक आवश्यकता है।

हमारा विश्वास है कि आर्थिक और राजनैतिक अधिकारों के विकेन्द्रीकरण से अहिंसापूर्वक रक्षा करने की अवस्थाएँ स्वयमेव उत्पन्न हो जायँगी। इन अवस्थाओं को जनता को अहिंसापूर्वक अनुशासन में रहने के लिए शिक्षित करके, शान्ति-सेनाओं का संगठन करके और अवतक जिन परिस्थितियों में हिंसामय उपायों का प्रयोग किया जाता है उनमें समय-समय पर अहिंसामय कार्रवाई करके उन्नत किया जा सकता है। तबतक इस दिशा में क्रमशः सैनिक व्यय घटा कर और स्थायी सेना के स्थान पर प्रादेशिक सेनाओं का संगठन करके आगे बढ़ना चाहिए।

कालान्तर में इन प्रादेशिक सेनाओं का स्थान भी शान्ति-सेनाएँ ले लेंगी।

### पब्लिक फाइनेन्स (सार्वजनिक कोष)

विकेन्द्रीकृत उत्पादन और राजनैतिक अधिकारों का आधार विकेन्द्रीकृत अर्थ-व्यवस्था होना चाहिए। शासन की प्रारम्भिक इकाइयों का स्वशासन वास्तविक और प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि प्रादेशिक इकाइयों में सार्वजनिक आय का अधिकतर मग्नह और व्यय वे ही करें। हमारा लक्ष्य ऐसी अर्थ-व्यवस्था को विकसित करना होना चाहिए जिसमें कि सार्वजनिक आय का ५० प्रतिशत मग्नह और व्यय ग्राम-पंचायतों ही करें। शेष पंचान प्रतिशत उनसे ऊपर के संगठनों के लिए छोड़ देना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। उसे अपनी आमदनी के लिए सार्वजनिक स्वामित्व केन्द्रोद्भूत उद्योगों और रेल, विजली, डाक, तार, हवाई वातायत और मुद्रा आदि सार्वजनिक उपयोग के साधनों पर करना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो प्रान्त भी केन्द्र को कुछ आर्थिक महायता दे सकते हैं।

टैक्सों की अदायगी नकदी, माल और मजदूरी के रूप में की जा सकती है। जमीन लगान माल के रूप में ही अदा किया जायगा। जमीन-लगान माल के रूप में एकत्र करने की कठिनाई को विविध काम करने वाली महकागी संस्थाएँ और प्रत्येक ग्राम में एक अनाज-बैंक संगठित करके हल कर लिया

जायगा। स्थानीय अधिकारियों के वेतनो का अधिकतर भाग माल के रूप में ही दिया जायगा। प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों के उच्च अधिकारियों को भी वेतन का कुछ भाग माल के रूप में दिया जा सकेगा। ग्राम-पंचायतों के आवीन लगान की मजदूरी के रूप में अदायगी का लाभ यह होगा कि गरीब-से-गरीब आदमी भी बिना किसी कठिनाई के सरकारी कोष में अपना भाग दे सकेगा। जिस अर्थ-व्यवस्था को हम पुरस्कृत कर रहे हैं उममें ऊँची आमदनिया समाप्त हो जायगी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार न्यूनतम हो जायगा। फलतः इन्कमटैक्स और कस्टम से होनेवाली सरकारी आमदनी घट जायगी। परन्तु गरीब-से-गरीब आदमी की अदायगी सरकारी कोष में मजदूरी द्वारा पहुँचने के कारण, राजकोष में नकदी का परिमाण कम हो जाने पर भी उसमें वास्तविक धन भरपूर रहेगा। अन्ततोगत्वा वास्तविक धन तो मजदूरी ही है। हमारे देश की प्राथमिक आवश्यकताएँ अस्पतालों, सड़कों और स्कूलों की हैं। उन्हें लोग अपनी मेहनत से बनायेंगे। इसलिए उनको बनवाने में राज्य को खर्च कम पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ग्रामन बहुत सरल हो जाने के कारण खर्चों में बहुत कमी हो जायगी। और ज्यो-ज्यो अहिंसा पर अमल होने लगेगा त्यो-त्यो पुलिस और सेना की तनख्वाहों का खर्च भी घटता जायगा। जब पुलिस और सेना से काम नहीं लिया जायगा तब उनको अपनी खाद्य और अन्य वस्तुओं की आवश्यकताएँ स्वयं पूरा करने के काम में लगा कर सरकारी खर्च तुरन्त घटाया जा सकेगा। बुनियादी तालीम का आरम्भ हो जाने पर और स्वास्थ्य की आवश्यकताएँ प्राकृतिक रहन-सहन तथा लोगों के सरल उपायों से इलाज द्वारा पूरी होने पर, शिक्षा और स्वास्थ्य सार्वजनिक आय के ऊपर बोझ नहीं रहेंगे।

केन्द्रीभूत अर्थ-व्यवस्था में विकेन्द्रीकृत अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन का कार्य बहुत सरल हो जायगा यदि सार्वजनिक अर्थ-व्यवस्था को केवल वनंध्य और आवश्यकता की दृष्टि में देखा जाय।

